ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006.

Karnataka State Open University

Manasagangothri, Mysore - 570 006.

प्रयोजनमूलक हिन्दी

M.A. Previous HINDI
Course / Paper - V

Block - 5

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ **1986**

ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. .... ವಿದ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬದಲು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವವರ ಬಳಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ.

ಡಾ || ಕುಳಂದೈಸ್ವಾಮಿ

The Open University system has been initiated in order to augment opportunities for higher education and as an instrument of democratising education.

National Education Policy 1986

The Open University system makes use of Multi-media in distance education system. .... it is a vehicle which transports knowledge to the place of learners rather than transport people to the place of learning.

Dr. Kulandai Swamy

प्रथम एम.ए. - कोर्स पाँचवाँ

Course - V, Paper - V

5

''अनुवाद और प्रयोजनमूलक हिन्दी''

'' प्रयोजनमूलक हिन्दी ''

Unit No. 19 to 22 **Page No.**

अनुक्रमणिका

इकाई	19	प्रयोजनमूलक हिन्दी	1 - 18
इकाई	20	राजभाषा का स्वरूप एवं विकास	19 - 40
इकाई	21	संविधान में राजभाषा हिन्दी	41 - 52
इकाई	22	हिन्दी प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति आदेश, राजभाषा आयोग, संसदीय समिति	53 - 72

पाठ्यक्रम अभिकल्प तथा संपादकीय समिति

प्रो.एम.जी.कृष्णन
उप कुलपति तथा अध्यक्ष.
क. रा. मु. वि. विद्यालय,
मैसूर - 6

प्रो.एस.एन.विक्रमराज अरस
डीन (शैक्षणिक) - संयोजक
क. रा. मु. वि. विद्यालय
मैसूर - 6

डॉ.कांबले अशोक संयोजक
अध्यक्ष , हिन्दी विभाग
क.रा.मु.वि.विद्यालय, मानस गंगोत्री
मैसूर - 6

डॉ.एम.विमला संपादिका
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
ज्ञानभारती, बेंगलूर वि.विद्यालय
बेंगलूर - 56.

पाठ्यक्रम की लेखिका

डॉ.प्रतिभा मुदलियार
रीडर, हिन्दी विभाग, मानस गंगोत्री
मैसूर विश्वविद्यालय
मैसूर - 6.

कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर, शैक्षणिक अनुभाग द्वारा निर्मित । सभी अधिकार सुरक्षित । कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, इस कार्य के किसी भी अंश को किसी भी रूप में अनुलिपित या किसी अन्य माध्यम द्वारा प्रतिकृति नहीं किया जाएगा ।

कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पर अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मानस गंगोत्री, मैसूर - 6 से प्राप्त की जा सकती है ।

कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से **रजिस्ट्रार (प्रशासन)** द्वारा मुद्रित व प्रकाशित ।

ब्लाक परिचय

प्रिय विद्यार्थी,

कोर्स - एक में आपने **'कर्नाटक संस्कृति एवं कन्नड़ साहित्य'** का अध्ययन किया ।

कोर्स - दो में आपने **'आधुनिक हिन्दी काव्य'** के बारे में अध्ययन किया और कविवर 'जयशंकर प्रसाद', 'मैथिलीशरण गुप्त', 'रामधारी सिंह दिनकर' और 'सूर्यकांत त्रिपाठी निराला' तथा 'नयी कविता के कवियों' के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली ।

कोर्स - तीन में **'आधुनिक गद्य एवं निबन्ध'** में आपने 'जयशंकर प्रसाद विरचित 'ध्रुवस्वामिनी', भारतेन्दु कृत 'चन्दावली नाटिका' और 'हिन्दी के श्रेष्ठ निबन्ध' तथा 'एकाँकी वैभव' का भी अध्ययन किया । 'कहानी कौस्तुभ' नामक कहानी संकलन का भी अध्ययन किया । इसके अलावा आपने 'जैनेन्द्र' कृत 'त्याग पत्र' तथा भीष्म साहनी के 'तमस' उपन्यासों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली ।

कोर्स - चार में आपने **'हिन्दी साहित्य का इतिहास और व्याकरण'** के बारे में सविस्तार रूप से अध्ययन भी किया और जानकारी भी प्राप्त कर लीं ।

कोर्स - पाँच में **'अनुवाद और प्रयोजनमूलक हिन्दी'** में आपने **'अनुवाद'** के बारे में सविस्तार रूप से अध्ययन किया । अब आप **'प्रयोजनमूलक हिन्दी'** के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं।

प्रयोजनमूलक हिन्दी के **ब्लाक - पाँच** में आप प्रयोजनमूलक हिन्दी, राजभाषा का स्वरूप एवं विकास, संविधान में राजभाषा हिन्दी और हिन्दी प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति आदेश, राजभाषा एवं संसदीय समिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ।

शुभकामनाओं के साथ,

डॉ.कांबले अशोक
अध्यक्ष , हिन्दी विभाग
क.रा.मु.वि. विद्यालय
मानस गंगोत्री
मैसूर - 6.

इकाई उन्नीस : प्रयोजनमूलक हिन्दी

इकाई की रूपरेखा

19.0. उद्देश्य

19.1. प्रस्तावना

19.2. प्रयोजनमूलक हिन्दी

9.2.1. बोलचाल की हिन्दी

19.2.2. रचनाधर्मी हिन्दी

19.2.3. राष्ट्रभाषा और राजभाषा

19.2.3.1. राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अन्तर

19.2.3.2. राष्ट्रभाषा/राजभाषा हिन्दी

19.2.4. संचार/माध्यम भाषा

19.2.5. प्रयोजनमूलक हिन्दी

19.2.5.1. सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा में अंतर

19.2.5.2. प्रयोजनमूलक हिन्दी के रूप

19.3. उपसंहार

19.4. बोधप्रश्न

19.5. सहायक पुस्तकें

19.0. उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में आप प्रयोजनमूलक हिन्दी का विशेष परिचय प्राप्त करेंगे । आज सरकारी काम काज में हिन्दी का जो प्रयोग किया जा रहा है, वह प्रयोजनमूलक हिन्दी है । इसके अलावा भी हिन्दी के विविध रूप भी है । प्रस्तुत इकाई को पठने के बाद हिन्दी के अनेक रूपों को समझ पायेंगे । प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने से आप जानेंगे कि हिन्दी के प्रमुख पाँच रूप है बोलचाल की हिन्दी, रचनाधर्मी हिन्दी, राष्ट्रभाषा/राजभाषा हिन्दी, संचार तथा माध्यम भाषा हिन्दी, प्रयोजनपरक हिन्दी । इस इकाई के अध्ययन में आप हिन्दी के इन रूपों के स्वरूप, विकास एवं महत्व को जान पायेंगे ।

19.1. प्रस्तावना

भारतीय संविधान द्वारा खड़ी बोली हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिन्दी का परंपरागत अर्थ, स्वरूप तथा व्यवहार क्षेत्र व्यापकतर हो गया । पहले हिन्दी भाषा के अध्ययन-अध्यापन का सीधा-सादा अर्थ प्रायः भाषाशास्त्रीय अथवा व्याकरणिक समस्याओं तक सीमित था और साहित्य का संबंध रसान्वेषण से रस निष्पत्ति तक, किंतु जैसे ही हिन्दी राजभाषा नवीन भूमिका में प्रस्तुत हुई उसकी एक नए सिरे से पहचान होनी आरंभ हुई । अब वह सिर्फ कविता-कहानी-उपन्यास अथवा नाटक जैसी ललित या समीक्षापरक विधाओं में साहित्यक अभिप्रायों को व्यक्त करने का ही माध्यम नहीं रही, बल्कि प्रशासन, विधान, न्याय, शिक्षा तथा पत्रकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों की अभिव्यक्ति का माध्यंम बन गई । अतः प्रस्तुत इकाई में प्रयोजनमूलक हिन्दी के अर्थ, स्वरूप तथा प्रयोग क्षेत्र को स्पष्ट किया गया है वहीं हिन्दी के विभिन्न रूपों जैसे रचनाधर्मी हिन्दी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा आदि पर भी विशेष विचार किया गया है ।

19.2. प्रयोजनमूलक हिन्दी

हिन्दी भाषा के अनेक रूप आज प्रचलित हैं । उन्हें मुख्यतः पाँच वर्गों में विभक्त किया जा सकता है जैसे -

1. बोलचाल की हिन्दी
2. रचनाधर्मी हिन्दी
3. राष्ट्रभाषा/राजभाषा हिन्दी
4. संचार/माध्यम भाषा हिन्दी
5. प्रयोजनपरक हिन्दी

इनका विस्तृत अध्ययन निम्नलिखित है ।

19.2.1. बोलचाल के हिन्दी

यह हिन्दी उत्तर भारत में प्रायः जनभाषा और मातृभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है । इस भाषा की स्थिति विवादास्पद भी है । इसका कोई एक मानक रूप प्राप्त नहीं होता । कहीं पहाड़ी हिन्दी तो कहीं बिहारी हिन्दी । इसी प्रकार अन्य अनेक क्षेत्रों के लहजे परस्पर इतने भिन्न हो गये हैं कि उन्हें एक हिन्दी परिवार में पहचान पाना कठिन हो गया है । बोलचाल की हिन्दी का रूप जनपदीयता या आंचलकिता से इतना आक्रांत है कि यत्न करके भी उसका कोई मानक रूप नहीं बनाया जा सकता । उसमें व्याकरण और उच्चारण की इतनी भिन्नता भर गई है कि उसे परिनिष्ठित रूप दे पाना संभव नहीं है । 'हिन्दी का यह रूप उसकी विविध विभाषाओं, बोलियों और उपबोलियों से सम्बद्ध है, न कि मानक रूप से । यह विविधता हमारी विशिष्टता भी है । यह हिन्दी आज लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों के बीच प्रच[illegible]त है और संख्या की दृष्टि से यह पूरे विश्व में तीसरे स्थान प[illegible] [illegible]हन्दी का यह रूप अपनी सहजता एवं सुगमता के लिए [illegible] है । इसमें लोक-जीवन की सहज स्वर लिपियाँ [illegible] भारतीय कृषक-संस्कृति की अनुगूँज है और संस्कृत से लेकर [illegible] अपभ्रंश की भाषिक परंपरा के संस्कार हैं । विदेशी भाषाओं तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं ने भी इसे सजाया-संवारा है । इसलि[illegible] यह हिन्दी

जन-जन का कण्ठहार बनी हुई है । इसी बोलचाल की हिन्दी को गांधी जी ने 'हिन्दुस्तानी' नाम दिया था ।

19.2.2. रचनाधर्मी हिन्दी (साहित्यिक हिन्दी)

हिन्दी का साहित्यिक स्वरूप विषमताओं से ग्रस्त तो अवश्य है, किन्तु हताशपूर्ण नहीं है । आजकल के कवि-लेखक भाषा के प्रति विशेष सचेत नहीं दिखाई देते । हालांकि वे भाषा के पारम्परिक ढाँचे को तोड़ने का उद्घोष तो करते हैं, परन्तु नये रचनाकारों को भाषा का सही संस्कार प्राप्त नहीं हुआ है । समकालीन लेखन पत्रकारिता से ग्रस्त है । वह आन्तरिक रूप से व्यावसायिक हो गया है इसलिए त्वरित लेखन की बाढ़ आ गई है । दूसरी ओर नई पीढ़ी में जो ध्वंसक आवेग है उसके कारण भाषा और भाव की विखण्ड़न-प्रक्रिया कुछ सक्रिय हो उठी है । फिर भी सर्जनात्मक क्षेत्र में हिन्दी की अभिव्यक्ति-क्षमता का इस बीच पर्याप्त विस्तार हुआ है । काव्यभाषा, कथाभाषा, नाट्यभाषा और शोध-समीक्षा को भाषा की अलग-अलग आकृतियाँ काफी तेजी से उभरी हैं । हिन्दी वाक्य-संरचना पर यद्यपि अंग्रेज़ी का आरोपण अधिक दिखाई देता है फिर भी हिन्दी रचनाकारों ने अपना एक नया मुहावरा स्थिर कर लिया है । कवि लेखक तो निरंकुश होते हो हैं । वे साहसपूर्वक भाषा की रूढ़ियों को तोड़ते हुए अपनी नई-नई व्यंजनाएँ गढ़ लेते हैं जिनसे अन्ततः रचनाधर्मी हिन्दी (साहित्यिक हिन्दी) की श्रीवृद्धि होती है ।

19.2.3. राष्ट्रभाषा और राजभाषा

हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है । हिन्दी ही क्यों [illegible] में स्वीकृत सभी भाषाएँ इस देश की राष्ट्रभाषाएँ तथा राजभाषा [illegible] । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रभाषा और राज[illegible] के बीच के संबंध सूत्रों को स्पष्ट किया जाए । प्रायः राज्य में अथ[illegible] समग्र देश में अधिकाधिक बोली, लिखी तथा समझी जाने वाली क[illegible] भाषा ही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है और

परम्परा यह है कि किसी भी देश की राष्ट्रभाषा ही उस देश की राजभाषा भी हो जाती है ।

राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय उद्बोधन की क्षमता जनमानस के आदर्शों और अभिलाषाओं की सम्पूर्ति के लिए बेचैन तथा उनके भौतिक आध्यात्मिक चिंतन को अभिव्यक्त करने के सामर्थ्य से सम्पन्न साहित्यिक कृतित्व की गरिमा से मंडित सर्वग्राह्य सरल लिपि में लिखी जाती है ।

राजभाषा जनमानस की भावनाओं-सपनों-चिंतनों से सीधे-सीधे वर्णन जुड़कर एक अनौपचारिक माध्यम के रूप में प्रशासन तथा प्रशासित के बीच सेतु का कार्य करती है । यह भाषा भी राज्य अथवा देश के बहुमत द्वारा बोली, लिखी, समझी जाती है ।

संक्षेप में कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा लोक संवेदन तथा स्पन्दन को लेकर चलती है और राजभाषा अपनी अभिव्यक्ति में यांत्रिक, संवेदनहीन और किसी हद तब अनात्मीय होती है । यद्यपि यह सत्य है कि किसी देश की राष्ट्रभाषा ही उस देश की प्रायः राष्ट्रभाषा हो जाती है फिर भी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के बीच कभी-कभी अंतर भी आता है, अतः उनके अलगाव के कारण निम्नलिखित हैं -

19.2.3.1. राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर

1. राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि राजभाषा का भाग्य शासक-प्रशासक की नियति के साथ जुड़ा रहता है परन्तु राष्ट्रभाषा का न तो कोई निर्माण करता है और न ही उसे कोई पदच्युत ही कर सकता है क्योंकि वह किसी सम्राट के संकेत में से साँस नहीं लेती अपितु जनमानस के स्पन्दनों में मुखर होती है । वह सामान्य मनुष्य के दुःख, सुख, उल्लास अवसाद को लिपिबद्ध करती है ।

इस देश के इतिहास को देखें तो प्रारंभ से ही क्रमशः संस्कृत, पालि, प्राकृत और शौरसेनी अपभ्रंश इस देश की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा-दोनों ही थीं । जो राष्ट्रभाषा थी वह राजभाषा भी थी । मुसलमानों के शासक बनने से पूर्व तक यही स्थिति रही परन्तु मध्यकाल में विदेशी शासन की स्थापना से क्रमशः फारसी एवं कालांतर में अंग्रेजी राजभाषाएँ हो गई किन्तु भारतीय अभिव्यक्ति का लोक माध्यम इन युगों में भी हिन्दी ही रही । अंग्रेजों के जमाने में पहले ब्रज तथा बाद में खड़ी बोली हिन्दी ने राष्ट्रभाषा के दायित्व का वहन किया तथा यथासमय राष्ट्र की स्वतन्त्रता गौरव एवं आस्मिता के लिए चलाये जा रहे राष्ट्रव्यापी संघर्ष एवं आन्दोलन अन्तर्भारतीय भाषा भी संपर्क सूत्र की भाषा माध्यम बनी और स्वतन्त्रता के पश्चात परम्परागत राष्ट्रभाषा रूप के साथ राजभाषा के अभिनव रूप से वह गौरवान्वित हे ।

2. राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के बीच दूसरा अंतर प्रयोग क्षेत्र को लेकर है । राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र विधान, शासन, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका तक सीमित है जबकि राष्ट्रभाषा का व्यवहार क्षेत्र अवाधित है । वह राजभाषा के क्षेत्र में संचरण करने के साथ देश की बहुसंख्यक जतना की अखिल भारतीय संपर्क एवं व्यवहार की भाषा है ।

3. राजभाषा का संबंध चूँकि प्रशासनिक कार्य प्रणाली के संचालन से होता है अतः यह स्वाभाविक ही है कि उसका सम्पर्क बुद्धिजीवियों, प्रशासकों, सरकारी कर्मचारियों तथा प्रायः शिक्षित समाज से होगा परन्तु राष्ट्रभाषा का सरोकार राष्ट्रीय लोकजीवन से रहता है अतः उस जैसा शिक्षण-प्रशिक्षण का कोई अनिवार्य अनुबन्ध नहीं होता । राष्ट्रभाषा शिक्षित प्रबुद्धों से अनपढ़ गँवार तक सभी के लिए अपनी अभिव्यक्ति और प्रयोग के दरवाजे खुले रखती हैं ।

4. राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में समस्या के समाधान के मार्ग भी अलग-अलग होते हैं । राजभाषा जहाँ समस्याओं के समाधान के

लिए बौद्धिक वर्ग की निष्पतियों समाधानों पर निर्भर करती है, फाइलों, पुस्तकों की दुनिया से ऐतिहासिक संदर्भों एवं पूर्व घटनाओं के प्रकाश में वर्तमान समस्याओं के हल खोजने का प्रयास करती है वहाँ राष्ट्रभाषा (लोकभाषा) बुद्धि और बल की तुलना में हृदय और भावनाओं के उद्‌बोधन के माध्यम से समस्याओं के रागात्मक, काल्पनिक हल खोजने के प्रयत्न करती है । वह आवश्यकता एवं प्रसंगानुसार जनाक्रोश एवं जनादेश तैयार करती है ताकि समस्याओं का मात्र न्याय के बल परस्तरीय अथवा अव्यक्तार्थ बौद्धिक समस्याओं के बजाय देश की समस्याओं के सहज प्रकृत तथा व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए जा सकें । इस प्रयत्न में राजभाषा राजनीतिक दाँवपेच और उथल-पुथल का प्रायः आश्रय लेकर समस्या और समाधान को वर्तुलाका रूप में प्रस्तुत कर उसे सिराहीन उलझाव से उलझा देते है जबकि राष्ट्रभाषा सामाजिक-सांस्कृतिक बिन्दुओं से समाधान की सीधी रेखा खींचती है ।

इस कारण कहा जा सकता है कि राजभाषा का महत्व राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है जबकि राष्ट्रभाषा का महत्व सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से ना पा जाता है ।

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के अन्तर को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है, ''राजभाषा उसे कहते हैं तो कंन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र-व्यवहार, राजकार्य और अन्य सरकारी लिखा-पढी के कार्य में लाई जाए । राष्ट्रभाषा की कल्पना इससे भिन्न है । उसका पद और भी बड़ा है । उसी भाषा का गौरव सबसे अधिक हो सकता है और वही राष्ट्रभाषा कहला सकती है जिसको सब जनता समझती हो और जिसका अस्तित्व सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो ।''

5. राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में राजभाषा का व्यवहार क्षेत्र राष्ट्रभाषा की तुलना में व्यापकतर होता है । राष्ट्रभाषा जहाँ

राष्ट्रीय हितों एवं राष्ट्रीय जीवन के स्पंदनों, आदर्शों का अभिलेख बनकर रह जाती है वहाँ राजभाषा राज़नीतिक बोध से प्रेरित अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क से सम्बद्ध रहती है ।

19.2.3.2. राष्ट्रभाषा/राजभाषा हिन्दी

आज हिन्दी का यह रूप सर्वथा, सर्वाधिक संकटग्रस्त है । भारतीय संविधान ने तो अवश्य यह व्यवस्था कर रखी है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी संध की राष्ट्रभाषा होगी किन्तु लागू होने के पूर्व ही इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया गया और ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं कि अब शायद ही हिन्दी सही अर्थों में पूरे देश की राजभाषा बन पाये । इसके कई कारण हैं -

1. हिन्दी साम्रज्यवाद् की आशका से ग्रस्त हिन्दी विरोधियों का कुचक्र ।
2. अंग्रेजीपरस्त प्रशासकों की दुरभिसंधि ।
3. व्यावहारिक भाषा के रूप में हिन्दी एवं देवनागरी की न्यूनतायें ।
4. अन्तराष्ट्रिय स्तर पर मिशिनरियों का अंग्रेजी-प्रसार ।
5. भारतीय भाषाओं की पारस्परिक भेद-बंद्धि ।
6. अंग्रेजी भाषा से जुडे हुए आर्थिक प्रलोभन ।
7. हिन्दी भाषियों का हीनताबोध ।
8. जनसाधारण की यथास्थितिवादी प्रवृत्ति ।

जिस हिन्दी के सहाने आजादी की लड़ाई जीती गई थी, जो हिन्दी उत्तर भारत के नवजागरण का माध्यम बन गयी थी और जो हिन्दी इ़स लोकतन्त्र में जनसंवाद् की वास्तविक भूमिका निभा सकती है, उसको राजकाज में अभीष्ट वरीयता नहीं दी गई है । देश की अठारह भाषाओं का राष्ट्रभाषा और राजभाषा और अंग्रज़ी को सहसम्पर्क भाषा के नाम पर प्रायः सर्वत्र ही असली राजभाषा बना दिया गया । इसमें अनेक प्रकार की हानियाँ उठानी पड़ रही है जैसे -

* शासन और जन के बीच सहज प्रीति और प्रतीति नहीं आ पा रही है ।
* व्यवस्था पर एक कुलीनतंत्र (इलीट) हावी हो गया है जो समस्त राष्ट्रीय संसाधनों का दाहन कर रहा है । फलतः एक बहुत बड़ा वर्ग सामाजिक नयाय से वंचित है ।
* अंग्रेजी के अनिवार्य कर दिये जाने से देशी भाषाओं का अस्तित्व धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है ।
* अंग्रेजियत ने हिन्दी के ढाँचे को अस्त-व्यस्त कर दिया है । इसमें शिक्षितों, अर्धशिक्षितों के बीच तो भाषा बोली जा रही है वह कान्वेण्ट कल्चर से उत्पन्न हिन्दी-अंग्रेजी की एक वर्णसंकट खिचडी भाषा है, जिसे परिहासवश लोग 'हिंगालिश' कह देते है ।
* भारत में अंग्रेजी के आत्यंतिक प्रयोग से मानवीय संसाधन तथा राष्ट्रीय प्रतिभा की बड़ी क्षति हुई है । भारतीय मस्तिष्क में उर्वरता की कमी नहीं हैं । वह वस्तु को देखकर उसकी अनुकृति तुरंत तैयार कर सकता है । हाँ, मौलिक उद्भावनाएँ नहीं जुटा पाता । इसलिए कि वह अंग्रेजी भाषा के व्यूह से मुक्त होकर ज्ञान-विज्ञान की देशी चिन्तन सरणि का अपना रहा है । इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । राजभाषा का यह प्रश्न मूलतः हिन्दी भाषा-भाषियों की संकल्प शक्ति पर निर्भर है । दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा हम हर प्रकार का समाधान निकाल सकते हैं । हर विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली तैयार कर सकते है । हिन्दी चाहे अंग्रेजी से स्पर्धा नहीं कर सकती, किन्तु उसके साथ आस्मिता का भाव जुड़ा ही है । हिन्दी हमारी इसी राष्ट्रीय आस्मिता की प्रतीक है । इस भाव से राजभाषा की संकल्पना ही हिन्दी का सही कार्यन्वयन करा सकती है ।

19.2.4. संचार/माध्यम भाषा

संचार माध्यम भाषा के रूप में हिन्दी ने नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं । अब तक हिन्दी समाचार पत्र विदेशी संवाद-समितियों द्वारा प्रेषित अंग्रजी समाचारों की नकल छाप रहे थे, किन्तु अब हिन्दी समाचार एजेन्सी 'भाषा' ने स्थिति उलट दी है । 'समाचार' भी सम्प्रति शिखर पर है । इनकी विश्वासनीयता अंग्रेजी की अपेक्षा अधिक है । इसलिए हिन्दी दैनिक समाचारपत्रों की पठनीयता में अपूर्व वृद्धि हुई है । हमारी पत्रकारिता एक ओर पीतपत्रकारिता बन गई है तो दूसरी ओर लोकप्रिय भी बहुत हुई है । आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार भी जनजीवन पर काफी प्रभावी है । 'प्रसार भारती' विधेयक को ईमानदारी से लागू कर देने से 'मुक्त प्रेस' की हमारी अवधारणा तो पुष्ट होगी ही, साथ ही शुद्ध स्पर्धा के कारण संचार माध्यम भाषा के रूप में हिन्दी का परिपूर्ण विकास भी होगा । निष्कर्ष यह है कि संचार माध्यम भाषा के रूप में हिन्दी-जगत में एक राष्ट्रव्यापी महाअभियान की आवश्यकता है ।

19.2.5. प्रयोजनमूलक हिन्दी

'प्रयोजनमूलक हिन्दी, अंग्रेजी शब्द 'फंक्शनल हिन्दी' (Functional Hindi) का पर्यायी शब्द है । शबदार्थ की दृष्टि से प्रयोजनमूलक हिन्दी का अर्थ हुआ - ऐसी विशेष हिन्दी जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही किया जाए । यह हिन्दी की नितान्त नई छवि है । इसे अनुप्रयोगात्मक, व्यावहारिक, कामकाजी आदि नाम भी दिये गये हैं, किन्तु अब प्रयोजनमूलक शब्द रूढ़ हो गया है । उसका अर्थ है वह रोजगारपरक भाषा जो जीविकोपार्जन में सहायक होती है । डॉ.नगेन्द्र का मत है ''वस्तुतः प्रयोजनमूलक हिन्दी के विपरीत अगर कोई हिन्दी है तो निष्प्रयोजन नहीं वरन् आनन्दमूलक हिन्दी है । आनन्द व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष । आनन्द स्वकेन्द्रित होता है ओर प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है । हम आनन्द मूलक

हिन्दी के विरोधी नहीं है इसलिए आनन्दमूलक साहित्य के हम भी हिमायती हैं । पर सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में हम सम्प्रेषण के बुनियादी आधार को भी नज़र से ओझल नहीं करना चाहते ।''

प्रयोजनमूलक हिन्दी को व्यावहारिक हिन्दी भी कहा गया हैं । किन्तु व्यावहारिक हिंन्दी नामकरण के साथ एक भ्रम यह भी जुड़ जाता है कि जिसमें व्याकरण और सामाजिक आचरण के बजाय व्यावहारिक उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है । व्यावहारिक हिन्दी से तात्पर्य है - दैनिक जीवन में कार्य साधन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिन्दी । ऐसी भाषा जिसकी संरचना में व्याकरण की अनिवार्यता के बजाय व्यावहारिक उपयोगिता अधिक हो । इसके विपरीत प्रयोजनमूलक भाषा में प्रशासन, सम्पर्क तथा सम्प्रेषण आवश्यक होता है और उसमें उच्चरित वाक्य प्रयोग से लेकर लिखित वाक्य तक व्याकरण सम्मत शुद्धता एवं सामाजिक भद्रता का आग्रह होता है । अतः व्यावहारिक हिन्दी की तुलना में प्रयोजनमूलक हिन्दी सम्बोधन अधिक संदर्भ-संगत, अर्थगर्भित, लक्ष्यभेदी, स्पष्ट तथा सरल है । आज प्रयोजनमूलक हिन्दी शब्द अंग्रेजी शब्द 'फंक्शनल लैंग्वेज' के पर्याय रूप में प्रचलित और सर्व स्वीकृत हो चुका है ।

मोटुरि सत्यनारायण ने प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप एवं कार्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है, 'जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिन्दी ही 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' है ।''

वस्तुतः प्रयोजनमूलक भाषा भाषा का वह तथ्यपरक अर्जित सविशेष रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोजन विशेष अथवा कार्य के संदर्भ में होता है । प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप माने जा सकते हैं ; पहला जिसका प्रयोग सामान्य जनजीवन में दैनिक कार्यों के सन्दर्भ में होता है और जिसका अभ्यास या ज्ञान कोई भक्ति सामान्य जीवन के परिवेश से हो प्राप्त कर लेता है - और

दूसरा रूप है-जिसका प्रयोग सामान्य जीवन के सन्दर्भों में होता है और जिस अभ्यास या ज्ञान विशेष द्वारा प्राप्त किया जाता है । इसी दूसरे रूप को प्रयोजनमूलक भाषा कहेंगे । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जीवन-जगत की विभिन्न आवश्यकताओं अथवा लोकव्यवहार उच्चशिक्षा तन्त्र तथा जीविकोपार्जन आदि के लिए विशेष अभ्यास और ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्त इकाइयों एवं सम्प्रेषण कौशल से समाज-सापेक्ष व्यावहारिक प्रयोजनों की सम्पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विशेष भाषा प्रयुक्तियों को प्रयोजनमूलक हिन्दी कहा जा सकता है ।

19.2.5.1. सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा से अन्तर

सामान्य भाषा एवं प्रयोजनमूलक भाषा के बीच का अन्तर स्पष्ट कर देने से साहित्य और साहित्येत्तर भाषाओं के प्रयोगों एवं व्यवहार क्षेत्र का अन्तर स्पष्ट हो जाएगा । स्वरूपतः सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा एक होती है, परन्तु उनकी शबदावली अलग-अलग होती है । सामान्य भाषा के शब्द और विशिष्ट भाषा के शब्द भिन्न-भिन्न होते हैं, दोनों भाषाओं की वाक्य संरचना में भी अन्तर होता है ।

* सामान्य भाषा में बहुत कम प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का जमावड़ा विशिष्ट भाषा में होता है । यथा कर्मणि प्रयोग, सहायक क्रियाओं का प्रयोग तथा उपसर्ग बहुल शब्द । इनके अलावा सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति शैली कभी लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण, आलंकारिक, हास्य-विनोदमयी होती है, परन्तु इनके ठीक विपरीत प्रयोजनमूलक भाषा भी अभिव्यक्ति शैली, शुद्ध वाच्यार्थ प्रधान, गंभीर, अलंकार आदि से विरहित, सीधी सरल, स्पष्ट, एकार्थक की साधिका होती हैं ; वह वैधानिक कार्यालयीन औपचारिकता से परिचालित होती है । प्रयोजनमूलक भाषा मानक भाषा से परिचालित होती है किन्तु सामान्य भाषा भाषा के मानक रूप के प्रति इतनी सतर्क और सावधान नहीं रहती ।

*   सामान्य भाषा, भाषा क पहला चरण है और प्रयोजनमूलक भाषा उसका अगला कदम अर्थात् प्रयोजनमूलक भाषा सीखने के पूर्व व्यक्ति को भाषा के सामान्य रूप से परिचित होना आवश्यक है । इससे उसे भाषा की बनावट और बुनावट का प्रारम्भिक ज्ञान हो जाता है । इसके बाद वह विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यक विशेष शब्दावली को सायास ग्रहण कर पाता है अर्थात् सामान्य भाषा सहज भाषा है और प्रयोजनमूलक भाषा अर्जित भाषा है ।

*   सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा के बीच एक महत्वपूर्ण अन्तर यह भी है कि सामान्य भाषा का व्यवहार क्षेत्र जहाँ विशाल एवं व्यापक होता है वहाँ प्रयोजनमूलक हिन्दी का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है ।

इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा विशेष प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है ।

19.2.5.2. प्रयोजनमूलक हिन्दी के रूप

*   **प्रशासनिक**

प्रशासनिक वर्ग में राजभाषा हिन्दी का समावेश किया जा सकता है । इसके अन्तर्गत आलेखन, टिप्पण, अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली, संक्षेपण, पत्र-लेखन, विस्तारण आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

*   **वाणिज्यिक**

वाणिज्यिक भाषा के रूप में हिन्दी को टंकण, आशुलेखन, वाणिज्यिक पत्राचार और नयी आर्थिक शब्दावली से आपूरित करना है, ताकि हिन्दी आर्थिक पत्रकारिता का माध्यम बन सके और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश पा सके । इस दशक में बैंको में तेजी से हिन्दीकरण किया है । इसलिए कि वे अपना व्यवसाय सुदूर गाँव तक फैलाना चाहते हैं ।

*   **साहित्यिक**

हिन्दी का साहित्यिक लेखन इधर एक नया रूप धारण कर रहा है । व्यसन के लिये लिखनेवाले अब अधिकांशतः व्यवसाय के लिए लिखने लगे हैं । चूँकि पत्रकारिता उद्योग बन गई•है वह साहित्य की सेवा वर्णन होकर लाभप्रद धन्धा है । यही स्थिति अनुवाद की है । कुछ ऐसी ही स्थिति सर्जनात्मक लेखन, रंगमंच पटकथा, लेखन, सूक्ति-लेखन, आदि की है । इस बीच साहित्य की अनेक विधाओं का रूपान्तरण श्रव्य-दृश्य माध्यमों के अनुरूप हो गया है - जैसे नाटक की जगह फीचर फिल्म कहानी और उपन्यासों की परिणति दूरदर्शन धारावाहिकों में होती जा रही है । इसके अतिरिक्त रेडियो, वार्ता, परिचर्चा, भेंटवार्ता, फीचर, संस्मरण, पुस्तक समीक्षा आदि नयी विधायें विकसित हुई है । रेडियो, दूरदर्शन, पत्रकारिता का तो अपना विशेष स्थान है ही । तात्पर्य यह है कि इन साहित्यिक विधाओं का श्रव्य दृश्य बंधीकरण और उसके लिए सर्जनात्मक हिन्दी अथवा मीडिया लेखन का प्रशिक्षण अनिवार्य है । प्रयोजनमूलक हिन्दी का तकाजा है कि रंगमंच, काव्यमंच प्रस्तुतीकरण आदि कलाओं का सावधि प्रशिक्षण दिया जाय । साहित्यिक हिन्दी की यह प्रयोजनमूलक परिणति बड़ी आशाप्रद है ।

*   **तकनीकी हिन्दी**

तकनीकी हिन्दी एक सबसे बड़ी चुनौती है । इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रौग्रैमिंग, हिन्दी टेलेक्स और टेलीप्रींटर की व्यवस्था करनी होगी । इसके बिना हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ठहर पायेंगे और अगली शताब्दी तक हमारी भाषा कालातीत हो जायेगी । देश कीं अधिकतर प्रादेशिक भाषायें इस स्पर्धा में पिछड गई हैं । इस शैली में देश का बौद्धिक नेतृत्व करनेवाली बंगला भाषा इस रूप को नहीं ग्रहण कर पा रही है । तमिल, तेलगु आदि भी जड़ के मोह से मुक्त नहीं हो रही हैं, इसलिए उनकी सार्थकता ह्स्व होती जा रही है । हिन्दी दिनोंदिन अंग्रेजी के

समानान्तर अपना रूपान्तरण करती जा रही हे । अतएव उसका भविष्य सुनिश्चित है ।

प्रयोजनमूलक के ये विविध रूप ही उनके विविध प्रयोग क्षेत्रों की ओर संकेत करते हैं । संक्षेप में प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप एवं व्यवहार क्षेत्र यही है । दूसरे शब्दों में प्रयोजनमूलक हिन्दी एक ओर केन्द्र वा राज्य शासन के पत्र-व्यवहार, विधान मंडल की कार्यवाही, संसदीय विधियों कार्यलयीन पत्राचार, सरकारी संकल्पों, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ, आयोग समितियों अभिकरण, मसौदे, निविदा, फार्मस, लायसेंस, परमिट वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, विधि, बैंकिंग सेवा तथा डाक-तार आदि में प्रयुक्त होती है और दूसरी ओर व्यावसायिक पत्रों, विज्ञापनों की रंगीन दुनिया, दृश्य-श्रव्य माध्यमों आदि में शब्द की भूमिका निभाती है । इनके अलावा जीविकोपार्जन में सेवा-माध्यम के रूप में प्रयुक्त भाषा को विविध आयाम प्रयोजनमूलक हिन्दी के व्यापक व्यबहार क्षेत्र की ओर ही संकेत करते हैं ।

19.3. उपसंहार

प्रस्तुत इकाई में आपने देखा कि प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रमुखता पाँच वर्गों में विभक्त किया गया है - बोलचाल की हिन्दी, रचनाधर्मी हिन्दी राष्ट्रभाषा/राजभाषा हिन्दी ; संचार/माध्यम भाषा हिन्दी, प्रयोजनपरक हिन्दी । प्रयोजनमूलक हिन्दी का आज विशेष बोलबाला इसलिए है, कारण हिन्दी आज राजभाषा के रूप में अपना विशेष स्थान पा गयी है ।

19.4. बोधप्रश्न

1. बोलचाल की हिन्दी को गाँधीजी ने कौनसा नाम दिया था ?
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी के कितने वर्गों में विभक्त किया गया है ? नाम लिखिए ।

3. राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है ।
4. प्रयोजनमूलक हिन्दी किसे कहा जाता है ?
5. सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा में क्या अंतर है ?

उत्तर

1. हिन्दुस्तानी
2. पाँच । प्रशासनिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, तकनीकी, स्फूट
3. उत्तर के लिए देखिए 19.2.3.
4. उत्तर के लिए देखिए 19.2.5.
5. उत्तर के लिए देखिए 19.2.5.1.

19.5. सहायक पुस्तकें

1. प्रयोजनपरक हिन्दी । डॉ.सूर्यप्रसाद दीक्षित
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी । डॉ.विनोद गोदरे
3. सरकारी कामकाज में हिन्दी । एम विनायक सिंह
4. राजभाषा सहायिका । भवधेश मोहन गुप्त
5. राष्ट्रभाषा हिन्दी समस्याएँ और समाधान । देवेन्द्रनाथ शर्मा

NOTES

NOTES

इकाई बीस : राजभाषा का स्वरूप एवं विकास

इकाई की रूपरेखा

20.0. उद्देश्य

20.1. प्रस्तावना

20.2. राजभाषा का स्वरूप एवं विकास

20.2.1. ऐतिहासिक परंपरा

20.2.1.1. वैदिक संस्कृत

20.2.1.2. लौकिक संस्कृत

20.2.1.3. पाली

20.2.1.4. प्राकृत

20.2.1.5. अपभ्रंश

20.2.2. हिन्दी की स्थिति

20.2.2.1. ईस्ट इंडिया कंपनी

20.2.3. स्वाधीनता संग्राम में हिन्दी

20.2.3.1. राष्ट्रीय, सामाजिक तथा धार्मिक नेता एवं हिन्दी

20.2.4. हिन्दी आंदोलन : संस्थाओं की भूमिका

20.2.4.1. ब्रह्म समाज

20.2.4.2. आर्य समाज

20.2.4.3. प्रार्थना समाज

20.2.4.4. थियोसोफिकल सोसायटी

20.2.5. साहित्यिक संस्थाएँ

20.2.5.1. काशी प्रचारिणी सभा

20.2.5.2. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

20.2.5.3. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा

20.2.5.4. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

20.2.5.5. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे

20.3. उपसंहार

20.4. बोधप्रश्न

20.5. सहायक पुस्तके

20.0. उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई मे आप राजभाषा के स्वरूप एवं उसके विकास का परिचय प्राप्त करेंगे । इस इकाई को पठने के बाद -

* राजभाषा की ऐतिहासिक परंपरा जान पायेंगे [जिसमें आप पायेंगे कि तत्कालीन समय में एक भाषा राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित थी ।]
* मूगल काल में हिन्दी की स्थिति को समझ पायेंगे ।
* ईष्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति को जान पायेंगे ।
* राष्ट्रीय नेताओं की हिन्दी के प्रति आस्था .... हिन्दी के प्रचार-प्रसार के कार्य को जान पायेंगे ।
* हिन्दी के आंदोलन में संस्थाओं की भूमिका समझ पायेंगे ।
* साहित्यिक संस्थाओं को हिन्दी का योगदान जान पायेंगे ।

20.1. प्रस्तावना

पूर्व इकाई में आपने राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर को समझा था और यह जाना था कि प्रत्येक देश/राज्य की एक राजभाषा होती है । भारत में समय समय पर राजभाषा के रूप में कभी वैदिक संस्कृत, कभी लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश रही है । मुगल काल में अरबी, फारसी, राजभाषा के स्थान पर थी । हिन्दी को राजभाषा बनने के लिए एक लंबा आंदोलन चल पड़ा, जिसमें राष्ट्रीय नेताओं के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है । और इस प्रकार हम देखते हैं, 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में भारतीय गणराज्य के संविधान में स्वीकृति प्राप्त हुई । राजभाषा के इतिहास का विवरण हम आगे के पृष्ठों में पढ़ेंगे ।

20.2. राजभाषा का स्वरूप एवं विकास

आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिन्दी का अत्यन्त महत्व है । भारतीय संविधान द्वारा खड़ी बोली हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिन्दी का परंपरागत अर्थ, स्वरूप तथा व्यवहार

क्षेत्र व्यापकतर हो गया । पहले हिन्दी भाषा के अध्ययन-अध्यापन का सीधासादा अर्थ प्रायः भाषाशास्त्रीय अथवा व्याकरणिक समस्याओं तक सीमित था और साहित्य का संबंध समान्वेषण से रसनिष्पत्ति तक, किंतु जैसे ही हिन्दी राजभाषा की नवीन भूमिका में प्रस्तुत हुई उसकी एक नए सिरे से पहचान आरंभ हुई । राजभाषा के रूप में हिन्दी की भूमिका जानने के लिए आवश्यक है उसका संक्षिप्त इतिहास भी देखते हैं ।

20.2.1. ऐतिहासिक परंपरा

भारतवर्ष की भौगोलिक विकास-मंजिलें ब्रह्मावर्त-ब्रह्मर्षि-मध्यदेश के रूप में विकसित हुई हैं । इसी मध्यदेश का व्यवहार हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र के लिए होता है । यह भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु एवं भारतीय आर्य भाषाओं का वह उद्‌गम प्रदेश है जो वैदिक युग से लेकर आज तक अतिशय रक्षणशील और पवित्राभिमानी रहा है । हिन्दी भाषा की विकास-परम्परा इसी स्थल से संबंध रखती है । सर्वाधिक विद्वानों के मत से यह परम्परा वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश-अवहट्‌ठ-हिन्दी रूप में विकसित हुई है । जहाँ तक राजभाषा का प्रश्न है प्रायः राजकाज में प्रयुक्त होनेवाली वही भाषा होती है जिसे बृहत्तर समाज समझ सके । किन्तु मुगल तथा अंग्रेजों के काल में फारसी और अंग्रेजी भी राजभाषाएँ रही हैं । राजभाषा के संपूर्ण इतिहास का विहंगावलोकन इस प्रकार है -

20.2.1.1. वैदिक संस्कृत

वैदिक संस्कृत वैदिक युग की राजभाषा थी, इसमें प्रजातांत्रिक वर्ग राजा का निर्वाचन, सभा अथवा समिति का महत्व पुरोहित की प्रशासकीय गरिमा, राजसीमा की रक्षा, स्थानीय तथा केन्द्रीय अधिकारियों की नामावली, शासनाध्यक्षों की उपाधियाँ, राजा द्वारा राष्ट्र एवं राज्य की शपथ आदि की विस्तृत एवं व्यापक चर्चा होती थी । प्रशासन कार्य वैदिक भाषा में होता था ।

20.2.1.2. लौकिक संस्कृत

लौकिक संस्कृत का समाज में बड़ा ही सम्मान रहा है । यह भाषा वैदिक भाषा के बाद प्रयोग में आयी । पाणिनी की अष्टाध्यायी इसी भाषा में लिखी गयी । कालिदास, व्यास, भारवि, भवभूति, मम्मट, अभिनव गुप्त आदि विद्वानों ने इसी लौकिक संस्कृत मं रचनायें की हैं । यह भाषा विज्ञान, व्याकरण दर्शन साहित्य, मनोविज्ञान, राजनीति और प्रशासन के राजकाज की भाषा रही है । मौर्यवंशी राजाओं के शासन काल में संस्कृत की अपेक्षा लोक-भाषाओं को विशेष प्रश्रय मिला था । किंतु गुप्तवंशी राजाओं द्वारा संस्कृत को पुनः राजभाषा के पद पर एकाधिकार प्राप्त हुआ । संस्कृत संपूर्ण देश की समन्वय शक्ति बन भारत की सांस्कृतिक एकता का उद्‌घोष करती हुई । पस्चिम से पूर्व एवं उत्तर से दक्षिण तक सर्वत्र छा गयी ।

20.2.1.3. पाली

लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा का आगमन हुआ । पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है । राजभाषा के रूप में वह अशोक के द्वारा प्रचारित और प्रसारित की गयी । अशोक के शिलालेखों तथा उसके प्रशासन में इस भाषा का प्रयोग होता था । बुद्ध के उपदेश तथा अशोक के शिलालेखों पर भी इसी भाषा का उपयोग किया गया है ।

20.2.1.4. प्राकृत

अशोक के काल में केन्द्रीय स्तर पर पाली भाषा थी और उन्हीं के समय प्राकृत के लक्षण शिलालेखों राजाजाओं में दिखाई पड़ने लगे थे, उल्लेखनीय है कि प्राकृत के अनेक रूपों का पता लगता है, इन प्राकृतों में अभिलेखीय प्राकृत का विशेष महत्व है । राजभाषा की दृष्टि से अभिलेखीय भाषा सूक्तियों का विशेष महत्व है । पाली जैसे बौद्धों की भाषा थी वैसे ही प्राकृत जैनियों की भाषा थी ।

20.2.1.5. अपभ्रंश

भाषा जब परिनिष्ठित होकर विशिष्ट वर्ग तथा साहित्यिक श्रव्यों तक सीमित हो जाती है तो नयी भाषा का सृजन होता है और यह कार्य जनता सहज ढंग से कर लेती है । संस्कृत की भाँति पाली प्राकृत जब जन से विशिष्ट वर्ग और साहित्यिक ग्रन्थों तक सीमित होती गयी तदुपरान्त अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ । प्रारंभ में यह भाषा व्याकरण के नियमों से रहित होने के कारण इसे अपभ्रंश नाम से पुकारा गया ।

अपभ्रंश जहाँ हिन्दी भाषा के अत्यन्त प्रारंभिक रूप को उद्घाटित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभा रही थी, वहीं दूसरी ओर विदेशी शासकों और आक्रमणकारियों के माध्यम से आये हुए अरबी और फारसी के शब्द अपना भारतीयकरण करके तत्कालीन प्रशासन की परम्परा की अभिव्यक्ति में योगदान दे रहे थे ।

अपभ्रंश के विकास-काल में मुख्यतः तीन राज्य थे । कान्यकुब्ज में प्रतिहार, बरार (मान्यखेट) में राष्ट्रकूट तथा बंगाल में पालवंशी राजाओं का अधिपत्य था । इनमें राष्ट्रकूट एवं पालवंशी राजाओं ने शौरसेनी अपभ्रंश को प्रश्रय दिया । बाद में गुजरात के सोलंकी राजाओं ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया । यह साहित्यिक भाषा के रूप में पालवंशी राजाओं के शासनकाल में फूली फली । बरार (मान्यखेट) जैन वैश्यों का केन्द्र था । जैन वैश्यों ने इस भाषा को भारतीय स्तर पर महत्व दिलाया । इस प्रकार साहित्यिक भाषा के साथ अनेक राज्यों की राजभाषा का गौरव इसे प्राप्त हुआ । हिन्दी साहित्य का वीरगाथा काल, सिद्ध, सामंत राजाओं और युद्धों का काल था, तत्कालीन राजाओं पर जो ग्रंथ लिखे गये उस समय की भाषाओं में थे ।

20.2.2. हिन्दी की स्थिति

भारतीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में जब हिन्दी को देखते हैं तो उसकी संघर्ष-गाथा चिंतनीय लगती है । मुसलमानों के

राजकाज में हिन्दी को ध्यान देना उनके लिए मजबूरी थी, क्योंकि गोरी, गजनवी जैसे आक्रमणकार जिनकी लूट की मानसिकता थी, वे भारत के प्रति सदिक्ष्छा कैसे रख पाते ? भाषा-रक्षण और प्रचार-प्रसार उनकी नियति नहीं थी । सिक्कों पर देवनागरी का प्रयोग और प्रचलन की चिन्ता थी । यही दृष्टि शेरशाह की थी । खिलजी वंश ने हिन्दी को समुचित आदर दिया । उसके सेनापति मलिक काफूर ने महाराष्ट्र, आन्ध्र और कर्नाटक को जीत कर दिल्ली प्रशासन ने मिला लिया और वहाँ का राजकाज हिन्दी की दक्षिणी बोली में चलाया ।

मुगलकाल में हिन्दु राजाओं, जनता धर्म और भाषा के प्रति उदारता की नीति दिखायी पडी । अकबर के दो उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहाँ का फारसी और तुर्की भाषा के साथ हिन्दी के प्रति रूझान था । सबसे अधिक अकबर ने हिन्दी के प्रति आस्था व्यक्त की । मुगल सम्राटों के परिवार उच्च पदाधिकारी तथा मुसलमान प्रशासकों से सम्पर्क स्थापित करनेवाली भाषा फारसी थी । ब्रज और राजस्थानी भाषा उस समय के शासन की मुख्य उपभाषायें थीं । उदारवादी राजाओं के द्वारा ही नहीं कट्टरवादी औरंगजेब जैसे शासकों ने भी हिन्दी के प्रति आस्था. व्यक्त की । जहाँ तक राजभाषा का प्रश्न है मुस्लिम काल में फारसी राजभाषा थी और सहभाषा के रूप में हिन्दी प्रयोग में थी ।

हिन्दी का व्यापक प्रचार-प्रसार तत्कालीन संतों और भक्तों ने किया । संतों ने फ़ारसी और संस्कृत को छोड़कर खड़ी बोली अपनायी । निर्गुण संतों के बाद वैष्णवधर्म ने हिन्दी को व्यापकता प्रदान की । भक्तिकालीन कवियों का ब्रजभाषा तथा अवधी प्रेम उल्लेखनीय है । हिन्दी प्रदेश ही नहीं अपितु लगभग सभी प्रदेशों के संगीतज्ञ ब्रज भाषा के ही गीत गाते थे । अष्टछाप के कवियों के योगदान से ब्रजभाषा का चरमोत्कर्ष हुआ । विशेषकर सूरदास के साहित्य से हिन्दीतर भाषियों का हिन्दी के प्रति रूझान बढ़ा, इसी के साथ अवधी में तुलसी ने मानस की रचना करके हिन्दी को द्विगुणित किया ।

मध्यकाल में बहमनी वंश में हिन्दी का प्रयोग होता था । यह राज्य, मराठी, कन्नड़, तेलगु आदि भाषाओं के क्षेत्र में आता था । किन्तु आन्तर भाषा के रूप में हिन्दी का ही प्रयोग होता था । बहमनी राज्य के छिन्न भिन्न हो जाने पर बरार में इमामशाही, बीजापुर में आदिलशाही, अहमदनगर में निजामशाही, गोलकुंड़ा में कुतुबशाही तथा बीदर में बरीदशाही सल्तनतों में अपने राज्य में हिन्दी को अपनाया । केरल के राजा राजवर्मा का हिन्दी के प्रति प्रेम भी उल्लेखनीय रहा है । हिन्दी की व्यापकता विभिन्न राज्यों में देखने को मिलती है - महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तथा बंगाल में हिन्दी की अक्षयनिधि भरी पड़ी है । मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेज़ी शासन के प्रारंभिक संधिकाल में फ़ारसी देश की मुख्य राजभाषा की साथ ही अरबी का प्रचलन था, यह मुसलमानों की मजहबी जुबान थी ।

20.2.2.1. ईस्ट इंडिया कंपनी

ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से भारत पर कालिमा छा गयी । वैलेजली ने कर्मचारियों को जनभाषा का ज्ञान कराने के लिए गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में 'ओरिएंटल सैमिनरी' की स्थापना की । कालान्तर में यही संख्या फोर्ट विलियम कालेज के रूप में परिवर्तित हो गई । सन् 1800 से 1854 के बीच कालेज के मुंशियों तथा पंडितों द्वारा विविध भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना हुई ।

कंपनी की भाषा नीति अच्छी न थी, कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाना हिन्दी के प्रेति प्रेम नहीं अपितु जनता को विश्वास में लेकर, उनके करीब जाकर, उन्हीं की भाषा में झूठा अपनत्व दिखाकर शोषण करना था । कंपनी सरकार की निजी भाषा अंग्रेजी थी, वह इसे राजभाषा का स्थान प्रदान कराने में सक्रिय थी । यद्यपि इस्लामी शासन के अवशेष होने के नाते उस समय फारसी राजभाषा थी किंतु आम जनता के बीच इसका प्रचलन नाम मात्र का था । कंपनी ने अपनी अंग्रेजी भाषा को

राजभाषा बनाने के लिए हिंदी-उर्दू-हिन्दुस्तानी का झगड़ा उत्पन्न कर दिया था । इनके बीच लिपि का भेद अवश्य था, किंतु तत्कालीन भारतीयों में फूट डालने का कार्य अंग्रेजों ने किया । हिन्दी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की अलग-अलग भाषा न थी । उर्दू का प्रयोग भारतेन्दु युगीन साहित्यकारों ने खूब किया । हिंदी-उर्दू को अलग करने में दो अंग्रेज विद्वान थे, हिन्दी समर्थक ग्राउस साहब थे और उर्दू समर्थक बीम्स थे । इनकी तरह सर सैयद अहमद खाँ और राजा शिव प्रसाद का हिन्दी प्रेम और उर्दू प्रेम अलग-अलग था ।

राजा शिवप्रसाद की भाषा नीति में जब परिवर्तन आने लगा उनका रुसान अरबी फारसी भाषा के शब्दों की ओर होने लगा । तब राजा लक्ष्मण सिंह ने उनका विरोध करते हुए नागरी आन्दोलन को स्वस्थ दिशा प्रदान की । भारतेन्दु द्वारा लिखित **'उर्दू का श्यापा'** तथा **'निज भाषा उन्नति अहै'** और प्रताप नारायण मिश्र का **'हिन्दी, हिंदु और हिन्दुस्तानी'** के नारे आदि से हिंदी को नयी संभावनायें प्राप्त हो सकीं । भारतेन्दु के बाद नागरी आन्दोलन को पं.मदन मोहन मालवीय जी ने अपने सशक्त हाथों से गतिशील किया । इस उद्देश्य से नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई ।

स्वाधीनता संघर्ष में स्वदेशी वस्तुओं का स्वागत और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ । स्वदेशीपन के प्रभाव के निज भाषा आन्दोलन ने जोर पकड़ा । यह आन्दोलन विविध प्रादेशिक भाषाओं से भी संबंधित था । निजभाषा के रूप में हिन्दी आंदोलन का अभूतपूर्व महत्व था ।

20.2.3. स्वाधीनता संग्राम में हिन्दी

1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण भारतियों के मन में अपनी स्वतन्त्रता की चिनगारी पूरी तरह बुझी नहीं थी । अपनी इस करूण पराजय के बाद जब भारतीय पौरूष, भारतीय मनीषा तथा

रणबाँकुरों ने अपने अभियान की असफलता को आंतरिक गंभीर पड़ताल की तब उन्हें यह एक महत्वपूर्ण सूत्र मिला कि उपयुक्त सरल, सहज सामान्य भाषा के न होने के कारण आन्दोलन के लक्ष्य को, अभिप्राय को यथासमय जन-सामान्य तक नहीं पहुंचाया जा सका । परन्तु एक बात निस्वित थी कि स्वतन्त्रता संग्राम के प्रति अंग्रजों द्वारा अपनाए गए कर दमनात्मक रूख के कारण लोगों को अंग्रेजों से गहरी घृणा हो गई थी और उनमें राष्ट्रीय चेतना का उदय हो गया था । सन् 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात हुआ और स्वराष्ट्र, स्वतन्त्रता, स्वदेशी, स्वभाषा, राष्ट्रीय शिक्षण तथा विदेशी का बहिष्कार में वे शब्द बन गए जिनके लिए भारतीय मानस में जेहाद पुकारा । संपूर्ण देश अब क्रमशः एक राजनीतिक इकाई में परिवर्तित हो चुका था अतः सभी के बीच संपर्क की आवश्यकता महसूस की जाने लगी । तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने सामज-सुधारकों, शिक्षा-शास्त्रियों तथा साहित्यिकों ने हिन्दी को इस लक्ष्य के लिए सर्वथा योग्य पाया । हिन्दी आन्दोलन में धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं, राजनैतिक संस्थाओं तथा साहित्यिक संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है । उनके योगदान की चर्चा निम्नलिखित है ।

20.2.3.1. राष्ट्रीय, सामाजिक तथा धार्मिक नेता एवं हिन्दी

स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित प्रायः सभी व्यक्ति स्वतंत्रता के संघर्ष को एक संगठित अभियान बनाने के लिए संपर्क सूत्र के रूप में क्रमशः हिन्दी का प्रयोग करने लगे थे । उनमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के योगदान का परिचय यहाँ प्रस्तुत है ।

प्रबद्ध प्रखर नेता लोकमान्य तिलक जी में जहाँ राष्ट्र को एक गर्विला नारा, 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' - दिया ; वहाँ समय-समय पर हिन्दी के प्रति अपने विचारों को भी उन्होंने प्रकट किया है । उनका यह पूर्ण विश्वास था कि देवनागरी लिपि में केवल हिन्दी ही इस देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है । वे

हिन्दी को एक ऐसी भाषा मानते थे जो एक राष्ट्र के सभी वर्गों जातियों, धर्मों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है । उन्होंने हिन्दी प्रचार-प्रसार के लिए सन् 1903 में 'हिन्दी केसरी' नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया तथा अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में व्याख्यान देकर जनता-जनार्दन तक अपनी बात पहुँचाई ।

लाला लाजपतराय पंजाब के क्रान्तिकारियों के 'गुरू' माने जाते थे । उन्होंने पंजाब में हिन्दी प्रसार का कार्य एक संस्था के रूप में किया । हिन्दी-उर्दू संघर्ष में उन्होंने हिन्दी के पक्ष में वातावरण बनाया । वहाँ की शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी की पढ़ाई को अनिवार्य कराने में लालाजी की भूमिका सराहनीय रही है ।

हिन्दी की संघर्ष-कथा में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का विशिष्ट स्थान है । इनका समस्त जीवन हिन्दी के लिए लड़ाई लड़ते बीता । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और राष्ट्रभाषा हिन्दी यही संभवतः उनके जीवन के दो परम लक्ष्य थे । इन्होंने सन् 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की स्थापना में अपना योगदान दिया । सन् 1863 में सरकार द्वारा जब देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव रखा गया था तब उन्होंने उसका डट कर विरोध किया था और तत्कालीन गवर्नर को उन्होंने साठ हज़ार हस्ताक्षरों वाला निवेदन देकर रोमन लिपि के खिलाफ जनाक्रोश एवं जनभाषा से सत्ता को परिचित कराया था और अदालतों में हिन्दी को प्रवेश दिलवाया था । इन्होंने सन् 1917 में बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय की स्थापना की एवं सभी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कराया । राष्ट्रीय नेता के रूप में मालवीय जी ने हिन्दी के लिए बहुत कुछ किया हैं ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की स्वतन्त्रता के अभियान में हिन्दी के प्रयोग की व्यावहारिक आवश्यकता को अच्छी तरह परख लिया था । उन्हीं के निरन्तर प्रयत्नों का यह परिणाम था कि संपूर्ण देश में हिन्दी के पक्ष में एक स्थान पर लिखा है, हिन्दी ही हिन्दुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है यह

बात निर्विवाद है । यह कैसे हो ? केवल यही विचार करना है । जिस स्थान को अंग्रेजी भाषा आजकल लेने का प्रयत्न कर रही है और जिसे लेना उसके लिए असम्भव है, वही स्थान हिन्दी को मिलना चाहिए, क्योंकि हिन्दी का उस पर पूर्ण अधिकार है ।'' गांधीजी की प्रेरणा से सन् 1929 में कांग्रेस के 40 वे अधिवेशन में कानपुर में हिन्दुस्तानी को अखिल भारतीय कांग्रेस की दूसरी दफ्तरी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया । गांधीजी ने हिन्दुस्तानी से अपना तात्त्पर्य इन शब्दों में स्पष्ट किया - ''हिन्दुस्तानी का मतलब उर्दू नहीं, बल्कि हिन्दी और उर्दू की वह खूबसूरत मिलावट है जिसे उत्तरी हिन्दुस्तान के लोग समझ सकें और जो नागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती हो ।''

महात्मा गांधी ने सन् 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार उत्तरी भारत के छह छात्र दक्षिणी भाषाएँ सीखने दक्षिण में जाएँ और दक्षिणी विद्यार्थी हिन्दी सीखने उत्तर भारत में आएँ । किन्तु हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनाने के सुझाव से तमिलनाडु में कुछ लोगों को शंका हुई कि हिन्दी के प्रचार से प्रांतीय भाषाओं के विकास में बाधा पड़ेगी । पर गांधी ने उनकी शंकाओं का समाधान किया ।

उन्होंने हिन्दुस्तानी के प्रचार-प्रसार के लिए 'दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा' मद्रास, 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' वर्धा तथा हिन्दुस्तानी प्रचार सभा आदि का गठन किया । इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता संग्रांम में हिन्दी की व्यावहारिक उपयोगिता को परख कर उसे अपनाया तथा राजभाषा के आवश्यक गुणों से सम्पंन्न समझकर कांग्रेस के राजकाज में उसका प्रयोग प्रारंभकराया ।

डॉ.राजेन्द्र प्रसादजी ने एक साधारण कांग्रेसी कार्यकर्ता से लेकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद से हिन्दी सेवा की है । उनका सम्बन्ध हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, हिन्दी भाषा परिषद, कलकत्ता, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, आदि से रहा । गांधीजी

के परमभक्त होने के कारण हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी का समर्थन किया । भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने संविधान का हिन्दी रूपांतर करवाया तथा संविधान में स्वीकृत सभी भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक कोश तैयार करवाने का महनीय कार्य किया । राष्ट्रपति कार्यालय से उन्होंने सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्र, राष्ट्रीय मोकों पर भाषण, राष्ट्र के नाम संदेश, विदेशी राजपूत्रों के द्वारा परिचय-पत्र प्रस्तुति के अवसर पर आयोजित समारोहों तथा राष्ट्रपति भवन से जारी सूचनाओं एवं परिपत्रों में हिन्दी को उचित स्थान दिलाया । डॉ.राजेन्द्र प्रसाद जी ने हिन्दी के उस स्वरूप को पुख्ता एवं प्रचलित करने में सहयोग दिया जिसे प्रयोजन मूलक हिन्दी कहा जाता है ।

इन व्यक्तियों के अलावा राजर्षि पुरूषोत्तमदास टंड़न, सेठ गोविन्ददास तथा काका कालेलकर आदि व्यक्तियों ने भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु महनीय योगदान दिया है ।

20.2.4. हिन्दी आन्दोलन : संस्थाओं की भूमिका

हिन्दी आंदोलन में धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं तथा साहित्यिक संस्थाओं का योगदान था ।

20.2.4.1. ब्रह्म समाज

1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ते में हुई । इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे । राजा राममोहन राय ने जनता में राष्ट्रीय चेतना को गतिशील किया एवं राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा होने पर बल देते हुए हिन्दी को इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त बतलाया । इसी कारण उन्होंने अनी अधिकांश पुस्तकों का प्रकाशन भी हिन्दी में कराया । राजा राममोहनराय के अलावा केशवचन्द्र राय आदि ब्रह्मसमाज के नेताओं ने भी हिन्दी की काफी सेवा की ।

20.2.4.2. आर्यसमाज

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की

स्थापना की । आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्यों में ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना तथा हिन्दु समाज तथा धर्म में प्रचलित विविध रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों के खिलाफ जनमानस को जाग्रत करना था । आर्य समाज पहली संस्था है जिसने अखिल भारतीय स्तर पर स्वभाषा, स्वधर्म तथा स्वराज्य के लिए आंदोलन की पहल की । उन्होंने अपने विचारों को पूरे देश में पहुँचाने के लिए हिन्दी भाषा को चुना । हिन्दी हो उन्होंने आर्य भाषा कहा और आर्य समाज के अट्ठाईस नियमों में से पाँचवे नियमानुसार प्रत्येक आर्य समाजी को हिन्दी पढ़ना है । ऋषि दयानन्द की प्रेरणा से हिन्दी को राजकार्य में प्रवृत्त कराने के लिए भी अनेक स्थानों से अंग्रेज सरकार के पास मेमोरेंडम भेजे गए ।

20.2.4.3. प्रार्थना समाज

सन् 1867 में श्री महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की । यह संख्या एक ओर सामाजिक तथा धार्मिक उद्देश्यों को दूर करने के लिए प्रयत्नशीन थी और दूसरी ओर वह स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह आदि के पक्ष में वातावरण बना रही थी । अस संस्था का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित रहा । वह संस्था अपने साप्ताहिक प्रवचन में हिन्दी का थोड़ा बहुत प्रयोग करती थी । संस्था के नेता महादेव गोविन्द रानडे के विचारों ने उस युग के हिन्दी साहित्य को अवश्य प्रभावित किया था ।

20.2.4.4. थियोसोफिकल सोसायटी

इस संस्था की स्थापना सन् 1875 में मदाम ब्लास्की तथा कर्नल आलकोट ने अमरीका में की । संस्था के मूल में भारतीय धर्म दर्शन का अध्ययन और प्रसारण था । सन् 1857 में इन दोनों महानुभावों ने बंबई आकर यहाँ भी उसका कार्यालय खोला । सन् 1885 में उन्होंने अडयार (मद्रास) नामक स्थान पर अपना अन्तराष्ट्रीय कार्यालय स्थापित किया । श्रीमती एनी बेसेंट ने सन् 1893 से अपने विचारों का प्रचार प्रारम्भ किया । सोसायटी ने अनेक शिक्षण संस्थाओं जैसे काशी सेंट्रल हार्ड स्कूल, सेंट्रल हिन्दु

कॉलेज तथा हिन्दु कन्याशाला स्थापित की । इन सभी संस्थाओं में भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं पर जोर दिया गया । इससे हिंदों का काफी फायदा हुआ । एनी बेसेंट राष्ट्रभाषा का प्रचार-प्रसार करने के लिए गांधीजी के साथ दक्षिण के दौरे पर भी गयी थीं । अपने अंग्रेजी पत्र 'न्यू इंडिया' में वे हिन्दी लेखों का भी प्रकाशन किया करती थी । सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के प्रति संकल्पबद्ध कुछ और भी संस्थाएँ हैं जो अपने ढ़ंग से हिन्दी के प्रचार-प्रसार के कार्य में लगी थीं ।

20.2.5. साहित्यिक संस्थाएँ

20.2.5.1. काशी नागरी प्रचारिणी सभा

राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा राष्ट्रलिपी देवनागरी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से सन् 1893 में वारणासी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई । यह हिन्दी की पहली साहित्यिक संस्था है । नागरी प्रचारणी सभा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए रचनात्मक तथा आंदोलनात्मक दोनों रूपों में काम करती है । जहाँ सभा के भगीरथ प्रयत्नों से 12 अप्रैल सन. 1900 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालती काम-काज के लिए फारसी कें साथ नागरी को भी स्वीकार किया, वहाँ सभा हिन्दी के अनुपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, हिन्दी के वृद्ध कोशों का निर्माण, हिन्दी भाषा तथा साहित्य का इतिहास लेखन, शोधकार्य एवं साहित्यिक गोष्ठियों के आयोजन जेसे रचनात्मक कार्य भी करती है । सभा का अपना प्रकाशन विभाग, कोश विभाग है जिसके द्वारा हिन्दी शब्द सागर, हिन्दी वैज्ञानिक शब्दावली और संक्षिप्त शब्द सागर जैसे कोशों का प्रकाशन हुआ है । सभा हिन्दी साहित्य की मौलिक एवं श्रेष्ठ रचनाओं को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी करती है । सभा ने अब हिन्दी के प्रयोजनमूलक स्वरूप को दृष्टिगत रख 'संकेतलिपि विद्यालय' स्थापित किया है जिसमें हिन्दी की संकेत लिपि (short hand) तथा टंकन की शिक्षा दी जाती है ।

20.2.5.2. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

सन् 1920 मे बाबू श्यामसुन्दरदास जी की प्रेरणा एवं सुझाव से 'हिन्दी नागरी प्रचारिणी सभा' के तत्वावधान में समस्त भारतवर्ष से हिन्दी प्रचार अथवा हिन्दी के हित के लिए कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधियों, हिन्दी के विद्वानों तथा प्रेमियों का एक विशेष अधिवेशन महामना मालवीय जी की अध्यक्षता में हुआ । इस अधिवेशन में हिन्दी भाषा एवं देवनागरी के प्रचार-प्रसार के लिए एक नई संस्था का सम्मेलन के मुख्य सूत्रधार राजर्षी टंडन थे । सम्मेलन का उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र-हिन्दी की उन्नति, राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार, हिन्दी को सुगम, मनोरम, व्यापक और समृद्ध बनाने के लिए अनेक विध प्रयंत्न, हिन्दी लेखकों, प्रचारकों को हिन्दी लेखन तथा प्रचार प्रसार के लिए प्रोत्साहित कर पुरस्कार आदि देना, हिन्दी साहित्य की वृद्धि के लिए ग्रंथों का प्रकाशन आदि थे ।

20.2.5.3. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

महात्मा गांधी की प्रेरणा से दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार के कार्य के लिए एक योजना सन् 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के इन्दौर अधिवेशन के अवसर पर प्रस्तुत की गई और वहीं पर दाताओं के सहयोग से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास की स्थापना हो गई । इस सभा की चार शाखाएँ त्रिचिनापल्ली, हैदराबाद, एर्णाकुलम और धारवाड़ में खोली गई । विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के सहयोग से हिन्दी का प्रचार-प्रसार तथा हिन्दी के विकास के लिए स्वरूप एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण करना तथा भारतीय एकता के लिए प्रयास करना सभा के प्राथमिक उद्देश्यों में है । राष्ट्रीय महत्व की संख्या के रूप में इस सभा को सरकारी अभिस्वीकृति मिली है । संस्था स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान विभाग संचालित करती है । इसमें उच्च शिक्षण का प्रबन्ध किया गया है ।

20.2.5.4. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा

सन् 1936 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 25 वे अधिवेशन, नागपूर में डॉ.राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में राजर्षि पुरूषोत्तमदास टंडन के प्रस्ताव के अनुसंधान में दक्षिण-उत्तर अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी प्रचार के लिए एक 'हिन्दी प्रचार समिति' का गठन किया गया । राष्ट्र के प्रमुख नेतागण जेसे महात्मा गांधी, नेहरू, टंडन, आचार्य नरेन्द्र देव आदि इस समिति के सदस्य रहे थे । राष्ट्रभाषा के माध्यम से भारतीय एकता तथा देवनागरी लिपि का प्रचार इस संस्था के प्राथमिक उद्देश्य में से है । राष्ट्रभाषा की शिक्षा एवं परीक्षा करना, पाठ्य पुस्तकों को तैयार कराना प्रांतीय भाषाओं के श्रेष्ठतम साहित्य को हिन्दी में अनुवाद करवाकर प्रकाशित करना, हिन्दी के प्रचार-प्रसार में उपयोगी मौलिक पुस्तकें लिखवाना आदि उद्देश्यों को यह संस्था परिचालित करती है ।

20.2.5.5. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे

महात्मा गांधी की प्रेरणा एवं आचार्य काका कालेलकर की सद्भावना एवं अध्यक्षता में महाराष्ट्र के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण महानुभावों ने 22 मई 1937 में इस संस्था की स्थापना की । प्रारंभ में यह संस्था राष्ट्रभाषा प्रचार समिती, वर्धा तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से सम्बद्ध रही, परन्तु 1945 को महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं में एक बैठक में दोनों संस्थाओं से सम्बद्ध विच्छेदकर स्वतंत्ररूप से कार्य करने का निर्णय किया और संस्था महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे के नाम से कार्य करने लगी ।

इस सभा के उद्देश्य थे - प्रादेशिक भाषाओं का प्रोत्साहित किया जाय किन्तु अन्तरप्रांतीय व्यवहार के लिए राष्ट्रभाषा का उपयोग किया जाय । राष्ट्रभाषा का प्रचार राष्ट्र के नवनिर्माण, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता के संवर्धन का एक कार्य है, इस उद्देश्य से सभा ने अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को अपनाया ।

उपर्युक्त संस्थाओं के अलावा अनेक ऐसी संस्थाएँ हैं जो

हिन्दी प्रचार-प्रसार कार्य में बडी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । जैसे हिन्दी विद्यापीठ बंबई, असम, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागरी लिपि परिषद आदि ।

20.3. उपसंहार

प्रस्तुत इकाई में आपने देखा कि किस प्रकार प्रत्येक युग में एक भाषा राजभाषा का स्थान पा जाती है । हमने देखा कि वैदिक युग में वैदिक संस्कृत राजभाषा थी, फिर जनभाषा लौकिक संस्कृत तत्कालीन राजभाषा बन गई । इसका कारण यह रहा कि जो भाषा शासक-प्रशासक की नियति से जुड़ा रहता है, प्रशासजिक कार्य प्रणाली में जसका विशेष प्रयोग होता है, ऐसी भाषा राजभाषा होती है । पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि में इस प्रकार का कार्य व्यापार होने के कारण भाषाएँ भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकी । मुगलकाल में शासकों की भाषा अरबी-फारसी होने के कारण वही दरबारी भाषा भी बन गई । उसी प्रकार अंग्रेज़ों के काल में अंग्रेजी । किन्तु हिन्दी एक बहुत बड़े भाग में बोले जाने के कारण और देश को जोड़ने में अहम भूमिका निभाने के कारण राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक नेताओं ने हिन्दी को विशेष महत्व दिया और उसके प्रचार-प्रसार के लिए सक्रियता से काम किया । सामाजिक तथा साहित्यिक संस्थायें भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय रही है । महात्मा गांधी, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद, राजर्षि टंडन, मनदमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, लोकमान्य तिलक आदि राजनेताओं ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए काफी योगदान दिया है ।

इसप्रकार इन लोगों के सक्रिय योगदान से हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान तो मिला किन्तु इसका कुछ राज्यों में विरोध भी हुआ । लेकिन गांधीजी के अथक प्रयासों तथा अन्य संस्थाओं के रचनात्मक एवं सक्रिय आंदोलनों से हिन्दी को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ ।

20.4. बोध प्रश्न

1. वैदिक युग में भारत की राजभाषा कौन-सी थी ?
2. पाणिनी की अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है ?
3. अशोक के काल में कौन-सी राजभाषा थी ?
4. मुगल काल में दरबारी भाषा कौन-सी थी ?
5. मुगलकाल में हिन्दी के प्रति किन-किन राजाओं ने हिन्दी के प्रति आस्था दिखाई ?
6. कंपनी की भाषा नीति क्या थी ?
7. हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय नेताओं का क्या योगदान रहा संक्षेप में लिखिए ।
8. हिन्दी आंदोलन में संस्थाओं की भूमिका पर संक्षिप्त निबंध लिखिए ।
9. राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर समझाते हुए राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रगति पर एक निबंध लिखिए ।

उत्तर

1. वैदिक संस्कृत
2. पाली
3. लौकिक संस्कृत
4. अरबी-फ़ारसी
5. जहाँगीर, शाहजहाँ और अकबर
6. देखिए : 20.2.2.1.
7. उत्तर के लिए दिखिए 20.2.3, 20.2.3.1.
8. उत्तर के लिए देखिए 20.2.4.1, 20.2.4.2., 20.2.4.3., 20.2.4.4., 20.2.4.5.

20.5. सहायक ग्रंथ

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी : डॉ.विनोद गोदरे
2. प्रयोजनपरक हिन्दी प्रो.सूर्यप्रसाद दीक्षित,डॉ.योगेन्द्र पालसिंह

3. सरकारी कामकाज में हिन्दी : राम विनायक सिंह
4. हिन्दी सदियों से राजकाज में : महेशचन्द्र गुप्त
5. प्रशासन में राजभाषा हिन्दी : कैलाशचन्द भाटिया
6. व्यावहारिक राजभाषा : डॉ.नारायणदत्त पालिवाल

NOTES

NOTES

इकाई इक्कीस : संविधान में राजभाषा हिन्दी

इकाई की रूपरेखा

21.0. उद्देश्य

21.1. प्रस्तावना

21.2. संविधान में राजभाषा हिन्दी

- 21.2.1. अनुच्छेद 343
- 21.2.2. अनुच्छेद 344
- 21.2.3. अनुच्छेद 345
- 21.2.4. अनुच्छेद 346
- 21.2.5. अनुच्छेद 347
- 21.2.6. अनुच्छेद 348
- 21.2.7. अनुच्छेद 349
- 21.2.8. अनुच्छेद 350
- 21.2.9. अनुच्छेद 351

21.3. उपसंहार

21.4. बोधप्रश्न

21.5. सहायक ग्रंथ

21.0. उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में आप संविधान में राजभाषा हिन्दी के संबंध में जो प्रावधान किये गये है उसका परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं । प्रस्तुत इकाई को पढने के बाद आप जान जायेंगे कि संविधान में -

* संघ की राजभाषा नीति
* विधानःमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा
* संघ की राजभाषा
* राजभाषा के लिए आयोग और संसद समिति
* प्रादेशिक भाषाओं के लिए प्रावधान
* उच्चत्तम न्यायालय / न्यायालय की भाषा
* हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए है । इस इकाई को पढ़ने के उपरान्त आप 'संविधान में हिन्दी' का स्थान और प्रावधान पर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।

21.1. प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता के बाद जब संविधान का गठन हुआ तब यह विशेष आवश्यक था कि स्वतंत्र भारत की भाषा नीति पर सर्वांगीण विचार किया जाय । अतः संविधान के चौथे अध्याय में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिन्दी के बारे में विशेष प्रावधान दिये गये है । अबतक अंग्रेजी में राज-काज चल रहा था । किन्तु 1950 के बाद हिन्दी को राजभाषा के रूप में कमर कसकर खड़े होना था, अतः उसके उचित विकास के साथ राज-काज़ में उसे सक्षम बनाने के लिए विशेष रूप से सोचा समझा गया । भारत की राजभाषा नीति का पूरा विवरण आप आगे के पृष्ठों में पायेंगे ।

21.2. संविधान में हिन्दी

26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान

को अन्तिम रूप दिया । 26 जनवरी 1950 से यह संविधान देश में लागू हुआ और इतिहास में पहली बार हिन्दी को राष्ट्रीय धरातल पर राजभाषा के रूप में सवैधानिक मान्यता प्राप्त हई । भारतीय संविधान के 2, 6 तथा 17 इन तीन भागों में "राजभाषा संबंधी प्रावधान है । इनमें भाग 2 के अनुच्छेद 210 में राज्य की विधान सभाओं के संबंध में निर्देश हैं । 17 वे भाग के चार अध्यायों में राजभाषा संबंधी उपबन्ध प्रस्तुत किये गये है । इनमें प्रथम अध्याय में संघ की भाषा के संबंध में 343 तथा 344 अनुच्छेद हैं । द्वितीय अध्याय में 345, 346 तथा 347 अनुच्छेदों में राजभाषा के रूप में प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में निर्देश दिये गये हैं । तृतीय अध्याय के अनुच्छेद 348 और 349 में उच्च्व न्यायालय और सर्वोच्य न्यायालय को भाषा के संबंध में निर्देश हैं तथा चौथे अध्याय के अनुच्छेद 350 और 351 में क्रमशः व्यथा के निवारण के लिए अभिवेदन में प्रयोक्तव्य भाषा और हिन्दी भाषा के विकास के संबंध में विशेष निर्देश दिये गये है । अब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 317 तक 'संघ की राजभाषा' के संबंध जो विभिन्न व्याख्याये और प्रव्यवस्थायें दी गई है उनका विचार करेंगे ।

21.2.1. अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 343 में यह स्पष्ट किया गया है कि 'संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होनेवाले अंकों का रूप भारतीय अंको अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा ।'

इसी अनुच्छेद के खण्ड़ दो में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के पश्चात् पंद्रह वर्षों तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा, जिनके लिये इसके लागू होने के तुरंत पूर्व होता था, परन्तु इसी में राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया है कि वे आदेश द्वारा संघ के किन्ही सरकारी प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी भाषा तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त

इन अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेंगें । इसअनुच्छेद के खंड़ 3 में संसद को भी यह अधिकार है कि पंद्रह वर्ष की कालावधि के पश्चात् भी वह विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी ।

21.2.2. अनुच्छेद 344, राजभाषा के लिए संसंद का आयोग और समिति

अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान पारित होने के बाद राजभाषा आयोग तथा संसदीय राजभाषा समिति की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है । इस अनुच्छेद में कहा गया है -

1. राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में पाँच वर्ष को समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले अन्य सदस्यों द्वारा अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया का आदेश परिभाषित करेगा ।

2. राष्ट्रपति को

क. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के लिए उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के,

ख. संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों के,

ग. अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से या किसी के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा के,

घ. संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जानेवाले अंकों के रूप के

ङ. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करने का आयोग का कर्त्तव्य होगा ।

3. खण्ड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोकसेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों को न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा ।

4. तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी, जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राजसभा के सदस्यों तथा राजसभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे ।

5. खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों को परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना समिति का कर्तव्य होगा ।

6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खण्ड़ (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा ।

संक्षेप में संविधान पारित होने के बाद राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग तथा संसदीय समिति की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है । इस आयोग का कर्तव्य निरूपित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि यह आयोग सरकारी कामकाज़ में हिन्दी के उत्तरोत्तर अत्यधिक प्रयोग करने तथा सरकारी प्रयोजनों में सभी या कुछ के लिये अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग कम करने या उस पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति को देगा । इसी अनुच्छेद में ऐसे आयोग की सिफारिशों पर विचार करने तथा उनपर राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देने के लिये तीस सदस्यों (20 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से) की संसदीय समिति स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई है ।

21.2.3. अनुच्छेद 345 : राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ

346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से

सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने बाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा । परन्तु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी ।

21.2.4. अनुच्छेद 346 : एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा

संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी, परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी ।

21.2.5. अनुच्छेद 347 : किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाषा के संबंध में विशेष उपबन्ध विभाग द्वारा बोली जाने वाली

यदि इस निमित्त माँग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जानेवाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए ।

21.2.6. अनुच्छेद 348 : उच्चत्तम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चत्तम न्यायालय और उच्च न्यायालयों एवं अधिनियमों और विधेयकों आदि में प्रयुक्त होनेवाली

भाषा के संबंध में है जिसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्राव्यवस्था न करे तब तक इसके लिए अंग्रेजी ही मान्य रहेगी और अंग्रेज़ी का पाठ ही प्राधिकृत माना जाएगा ।

I. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसंद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक

क. उच्चत्तम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ,

ख. जो

1. विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित्त किए जाने वाले जो संशोधन संसंद के प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाएँ, उन सबके प्राधिवृत्त पाठ,

2. अधिनियम संसद द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाए तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाएँ, उन सबके प्राधिकृत पाठ, तथा

3. आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान और उपविधि इस संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्यों के विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के लिए अधीन, निकाले जाएँ, उन सबके प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे ।

II. खण्ड़ (1) के उपखण्ड़ (फ) में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुरस्थापित विधेयकों या उसके पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड की कंडिका (3) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग के विहित किया है, वहाँ उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खण्ड़ के अभिप्रायों के लिए उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

21.2.7. अनुच्छेद 349 : भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबन्ध करनेवाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खण्ड (1) के अधीम गठित आयोग की सिफारिशों पर और अनुच्छेद के खण्ड (4) के अधीगठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं ।

21.2.8. अनुच्छेद 350

किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा ।

21.2.9. अनुच्छेद 351 : हिन्दी भाषा के विकास के लिए विशेष निदेश

हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषा के रूप शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा ।

21.3. उपसंहार

प्रस्तुत इकाई में हमने देखा कि भारतीय संविधान के चौथे अध्याय के अनुच्छेद 343 से 351 में क्रमशः राजभाषा हिन्दी के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है । संविधान में किये गए इस प्रावधान को पुनः एक बार संक्षिप्त रूप से देखेंगे -

संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी है । प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि (26 जनवरी 1965 तक) सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का यथावत्त प्रयोग होता रहेगा ताकि हिन्दी इस अवधि के दौरान शासन विधान, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाए । यहाँ पर राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि, वह पंद्रह वर्षों की कालावधि में संघ के किसी राजकीय प्रयोजन के लिए हिन्दी भाषा एवं भारतीय अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा । इसी के साथ संसद को यह अधिकार दे दिया गया है कि पंद्रह वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद भी वह चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत् रखने के लिए विधि द्वारा कोई उपबंध कर सकेगी ।

इसी प्रकार संविधान राष्ट्रपति को यह आदेश देता है कि संविधान के प्रथम पाँच वर्ष तथा दस वर्ष के पश्चात् राजभाषा आयोग की नियुक्ति करे । इस आयोग का प्रमुख कार्य था कि वे राष्ट्रपति को हिन्दी भाषा के अधिक प्रयोग तथा अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने की संस्तुति करें । इन आयोगों की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तथा अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रदान करने के लिए संसद सदस्यों की एक सिमिति कीं स्थापना का प्रावधान भी किया गया है ।

संविधान में इस बात का भी प्रावधान है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या एकाधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिन्दी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा । राज्य एवं संघ के मध्य पत्राचार में संघ की राजभाषा का ही प्रयोग होगा । यदि किसी राज्य के जनसमुदाय का एक पर्याप्त भाग

अपने द्वारा बोली-समझी जानेवाली भाषा को राज्य द्वारा अभिज्ञान देने का अधिकारी है । विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों एवं आदेशों तथा नियमों-विनियमों के पाठ, जब तक संस्वद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध वर्णन करे, अंग्रेजी में ही होंगे । संविधान के शुरू के पंद्रह वर्षों की कालावधि तक अंग्रेजी के स्थान पर किसी अन्य भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ के लिए भाषा आयोग के प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति विचार कर सकेंगा । शिकायत के समाधान के लिए कोई व्यक्ति संघ या संबद्ध राज्य में प्रयुक्त होनेवाले किसी भाषा में अभिवेदन दे सकता है और अंत में हिन्दी के विकास के लिए निदेश देते हुए कहा गया है कि हिन्दी को सर्वमान्य एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा के रूप में विभजित करे जिसे राष्ट्र में प्रयुक्त किया जा सके । इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान में राजभाषा पर विस्तृत विचार किया गया है ।

21.4. बोध प्रश्न

1. भारतीय संविधान के किस अध्याय में राँजभाषा संबंधी प्रावधान किये गये है ?

   उत्तर : चौथा अध्याय

2. भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किये गए है ।

   उत्तर : अनुच्छेद 343 से 351 तक

3. संघ की राजभाषा के बारे संविधान में क्या प्रावधान किये गये है ।

   उत्तर : देखिए अनुच्छेद 343

4. राजभाषा के लिए संसंद का आयोग और सामिति के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है ।

   उत्तर : अनुच्छेद 344

5. उच्चत्तम न्यायालयों और न्यायालयों में प्रयुक्त की जानेवाली भाषा के बारे में संविधान ने क्या प्रावधान है ?

   उत्तर : देखिए अनुच्छेद 348

6. संविधान की भाषा-नीति पर संक्षेप में लिखिए ।

21.5. सहायक पुस्तकें

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी : डॉ. विनोद गोदरे
2. प्रोजनपरक हिन्दी : सूर्यप्रसाद दीक्षित
3. हिन्दी में सरकारी काम-काजः राम विनायक सिंह
4. राजभाषा सहायिका : अवधेश मोहन गुप्त
5. प्रयोजनमूल हिन्दी : मंगला झाल्टे
6. प्रशासन में राजभाषा हिन्दी : कैलाशचन्द्र भाटिया

NOTES

इकाई बाईस : हिन्दी प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति ओदश, राजभाषा आयोग, संसदीय समिति

इकाई की रूपरेखा

22.0. उद्देश्य

22.1. प्रस्तावना

22.2. राष्ट्रपति के आदेश

 22.2.1. राष्ट्रपति ओदश 1952

 22.2.2. राष्ट्रपति आदेश 1955

22.3. हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने-अन्तर्विभागीय बैठक

22.4. राजभाषा आयोग 1955

22.5. संसदीय राजभाषा समिति

22.6. संघ राजभाषा से संबंधित राष्ट्रभाषा आदेश 1960

22.7. गृह-मंत्रालय का कार्यलय ज्ञापन

22.8. उपसंहार

22.9. बोधप्रश्न

22.10. सहायक पुस्तकें

22.0. उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में आम राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति ने जो आदेश दिये है उसका परिचय प्राप्त करेंगे । इसी के साथ राजभाषा आयोग तथा संसदीय समिति के राजभाषा संबंधित निदेशों का परिचय प्राप्त करेंगे । प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप -

* अनुच्छेद 343 खण्ड़ (1) के अनुसार राष्ट्रपति के राजभाषा संबंधी आदेश 1952, 1955 के निदेशों को जान सकेंगे ।
* राजभाषा आयोग 1955 का प्रतिवेदन, जिसमें आयोग ने हिन्दी के प्रयोग संबंधित जो मुख्य सुझाव दिये है, उन्हें समझ सकेंगे ।
* राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर संसदीय समिति की चर्चा के उपरान्त दिये गये सुझावों को समझ सकेंगें ।
* गृह-मंत्रालय के ज्ञापन के द्वारा हिन्दी के प्रयोग को सरल बनाने के लिए किए गए कार्यक्रम को जान पायेंगे ।

22.1. प्रस्तावना

आपने पूर्व इकाई में संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन किया था । इस इकाई में आप राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति आदेश, 1952, 1955 तथा राजभाषा आयोग के निदेशों एवं संसदीय समिति के सुझावों का अध्ययन करेंगे । जब हिन्दी को राजभाषा के रूप में संविधान में स्थान दिया गया, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हिन्दी को इतना सक्षम एवं सशक्त करना होगा जिससे वह राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होकर प्रशासनिक राज-काज पूर्णरूप से संभाल सके तथा संचालित कर सके । अतः इस कार्य को प्रशासनिक स्तर पर राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा पूरा किया जाने की व्यवस्था की गयी । इतना ही नहीं अनुच्छेद 343 खण्ड़ (1) के अनुसार राजभाषा आयोग तथा संसद समिति के गठन के द्वारा हिन्दी के कार्यान्वयन का प्रतिवेदन तथा उस पर समिति के सुझावों को माँगकर हिन्दी के कार्य को विशेष

महत्व दिया गया और साथ ही उसके प्रचार-प्रसार और हिन्दी में कार्य करने पर जोर दिया गया । संविधान के आदेशानुसार सरकार ने जो-जो कार्य किये उसका विचार आगे के पृष्ठों में किया जा रहा है ।

22.2. हिन्दी के प्रोयोग संबंधी राष्ट्रपति के आदेश (1952 तथा 1955)

22.2.1. राष्ट्रपति आदेश (1952)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 खंड (1) में यह स्पष्ट है कि 'संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपी देवनागरी होगी और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा ।'' उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) में आगे यह भी कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए इसके ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी । खण्ड़ (2) के उपखण्ड़ (क) के अधीन ''राष्ट्रपति उक्त कालावधि में आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।'' तदनुसार राष्ट्रपति ने 27 मई 1952 को एक आदेश जारी किया । (क्र.सं. 2, विधि मंत्रालय की दि.27 मई 1952 की एक अधिसूचना संख्या एसआरओ 938 ए) जिसके द्वारा उन्होंने (1) राज्यों के राज्यपालों (2) उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधशों और (3) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्रों में संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ वर्णन भाषा तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत किया ।

22.2.2. राष्ट्रपति आदेश (1955)

संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड़ (2) के परन्तुक के

अधीन राष्ट्रपति ने दूसरा आदेश जारी किया, जिसमें संघ की निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया -

1. जनता के साथ पत्र-व्यवहार ।
2. प्रशासनिक रिपोर्टे, सरकारी पत्रिकाएँ तथा संसद को प्रस्तुत की जानेवाली रिपोर्टे ।
3. सरकारी संकल्प तथा विधायी अधिनियम ।
4. जिन राज्य सरकारों ने हिन्दी को सरकारी भाषा के रूप में अपना लिया है उनके साथ पत्र-व्यवहार ।
5. संघिपत्र और करार ।
6. अन्य देशों की सरकारी तथा उनके दूतों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र-व्यवहार ।
7. राजनयिक तथा कांसुली अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत् के प्रतिनिधियों को जारी किए जाने वाले औपचारिक कागज़ात ।

22.3. हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अन्तर्विभागीय बैठक

अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए गए थे, उन पर भारत सरकार की एक अंतर-विभागीय बैठक में चर्चा की गई और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को अपने कुछ कामों में हिन्दी का प्रयोग करने की सलाह दी गई । इस संबंध में ता 8 दिसंबर 1955 को गृह मंत्रालय में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया । इसमं भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को ये सुझाव दिए गए -

1. जनता से जो पत्रादि हिन्दी में मिलें, उनके उत्तर जहाँ तक संभव हो, हिन्दी में ही दिए जाएँ, उनकी भाषा सरल हानी चाहिए ।
2. प्रशासनिक रिपोर्टों, सरकारी पत्रिकाओं, संसद को प्रस्तुत की जानेवाली रिपोर्टों आदि को यथासंभव अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में प्रकाशित किया जाए ।

3. सरकारी संकल्पों, विधायी अधिनियमों आदि को यथासंभव अंग्रेज़ी और हिन्दी में जारी किया जाए ।

किन्तु इन पर यह बात स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिए कि अंग्रेजी पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा ।

4. जिन राज्य सरकारों ने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में मान जिया है उनके साथ पत्र-व्यवहार अंग्रेज़ी मं किया जाए, परन्तु यदि संभव हो तो भारत सरकार द्वारा भेजे गए सभी पत्रादि के साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाए ताकि सांविधानिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े ।

स्पष्ट है कि हिन्दी के संबंध में मात्र औपचारिकता का निभाव हुआ है । 'यथासंभव' एवं 'यदि संभव हो' ऐसे शब्दों के द्वारा राष्ट्रपति के हिन्दी प्रयोग संबंधी आदेशों का पालन करने से साफ-साफ बचा जा सकता था ।

1955 तक राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिए आरम्भिक कार्यवाही की जाने लगी थी, परन्तु इस दिशा में वास्तविक कार्य 'राजभाषा आयोग' और 'संसदीय राज भाषा समिति' की स्थपना तथा उनकी सिफारिशें मिलने पर 1960 में राष्ट्रपति का आदेश जारी होने के पश्चात् ही शुरू हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है ।

22.4. राजभाषा आयोग (सन् 1955)

संविधान के अनुच्छेद 344 द्वारा प्राप्त अधिकारी का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जून 7, 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया । बंबई राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बाल गंगाधर खेर को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिनिधियों को इसके सदस्य के रूप में नामित किया गया । इस आयोग ने जुलाई 1955 से जुलाई 1956 के बीच अनेक सरकारी एवं अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों की साक्ष्य लेने के बाद राष्ट्रपति के सम्मुख जो

प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे -

1. भारत के संपूर्ण जनतांत्रिक आधार को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर सामूहिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार करना संभव नहीं तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है । विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है, परन्तु शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन, एवं दैनिक कार्य-कलापों में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है ।

2. भारत की सभी भाषाओं को साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध मानते हुए भी हिन्दी को सारे देश के लिए सामूहिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये ।

3. देशज और लोकतंत्रिय शब्दों के सहारे पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाय और इसमें तेजी लाई जाय ।

4. सभी विद्यार्थियों को 14 वर्ष की आयु तक हिन्दी का आवश्यक ज्ञान करा दिया जाय जिसमें वे सार्वजनिक जीवन के कार्य-कलापों और सरकारी कार्यवाहियों को समझने में समर्थ हों ।

5. सारे देश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिन्दी का शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए । हिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए दूसरी दक्षिण भारतीय भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य किया जाना आयोग को मान्य नहीं है ।

6. शिक्षा के माध्यम के रूप में विषय और शिक्षण की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विश्वविद्यालय आपस में परामर्श करके निर्णय करें कि भिन्न-भिन्न अभ्यास क्रमों के लिए किस माध्यम को स्वीकार किया जाए । परन्तु फिर भी सभी विश्वविद्यालयों को चाहिए कि हिन्दी माध्यम से जो विद्यार्थी परिक्षाओं में बैठना चाहें उनके लिए वे उचित प्रबन्ध करें ।

7. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा संध्याओं के छात्र जब किसी एक भाषा वर्ग के हों, तो उन्हें शिक्षा उसी भाषा में दी जाय और जहाँ के छात्र विभिन्न भारतीय भाषा क्षेत्रों के हों, वहाँ हिन्दी को सामान्य माध्यम बनाया जाय ।

8. सरकारी प्रकाशनों के हिन्दी अनुवाद में एकरूपता लाई जाय और इसकी देखरेख का कार्य केन्द्रीय सरकार के एक अधिकरण को दिया जाय ।

9. सभी प्रशासनिक कर्मचारियों को निस्चित अवधि में हिन्दी का ज्ञान कराया जाय और इसके लिये नियम लागू किया जाय । प्रोत्साहन के लिये कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाय ।

10. जनता के सम्पर्क में आने वाले विभागों एवं कार्यालयों के आंतरिक कार्य में हिन्दी और जनता से व्यवहार-हेतु क्षेत्रीय भाषा काम में लाई जाए । ऐसे विभागों में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान के साथ-साथ हिन्दी की योग्यता का स्तर भी निर्धारित किया जाए और बाद में विभागीय प्रशिक्षण द्वारा हिन्दी की योग्यता बढ़ाई जाए ।

11. भारत सरकार के सांविधानिक प्रकाशन अधिक से अधिक हिन्दी भाषा में प्रकाशित किए जाएँ और हिन्दी के प्रगति के लिए सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जाएँ ।

12. राज्य और संघ सरकार के अधिकारियों के लिए किसी स्तर का हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य किया जाए और उसके लिए उन्हें अधिकाधिक पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाए ।

13. संसद एवं विधान-सभाओं की कार्यवाही हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में की जाय, केवल विशेष परिस्थितियों में अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाय । कानून हिन्दी में हों लेकिन क्षेत्रीय जनता के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में इन्हें जारी किया जाय । हिन्दी माध्यम अपनाये जाने पर सभी विधि-सम्मत पुस्तकें हिन्दी में होनी चाहिए ।

14. न्याय की भाषा देश की ही भाषा हो । सर्वोच्य न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही, अभिलेखों, निर्णयों और आदेशों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद रखा जाय । इनमें अधिवक्ताओं को क्षेत्रीय भाषायें काम में लाने की स्वीकृति प्राप्त हो । कई क्षेत्रों के लिए लागू निर्णय और आदेश हिन्दी में लिखे जाने चाहिए ।

15. केन्द्रीय सेवाओं की प्रतियोगिता-परीक्षाओं के लिए हिन्दी की कुछ योग्यता अनिवार्य हो और हिन्दी का एक प्रश्न पत्र हो । समानता की दृष्टि से हिन्दी भाषियों से उतर भाषाओं पर वैकल्पिक प्रश्न पूछे जायँ । हिन्दी को, अंग्रेजी के साथ-साथ वैकल्पिक माध्यम के रूप में, ग्रहण किया जाय और क्रमशः अंग्रेजी माध्यम समाप्त करने का प्रयास किया जाय । राज्यों के लोक-सेवा आयोग हिन्दी भाषा का ज्ञान रखने वालों को प्रोत्साहन दें ।

16. हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार ठोस कदम उठाये और हिन्दी सेवी संस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर हिन्दी को बढ़ावा दे तथा ऐसी संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करें ।

17. सभी भाषाओं के लिये यदि एक लिपि अपनाने की बात हो तो [illegible] जिये देवनागरी लिपि को मान्यता दी जानी चाहिए, रामन लिपि इसके लिये सर्वत्र अनुपयुक्त होगी । देवनागरी लिपि में यथावश्यक सुधार के लिये कार्यवाही की जाय ।

18. भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को तथा क्षेत्रीय भाषाओं की शब्दावली तथा अभिव्यक्ति के मानकीकरण की दृष्टि से, विशेष सुविधायें दी जायें और इसके लिए समाचार संस्थाओं का निर्माण करने का प्रयास किया जाय ।

19. संघ .की राजभाषा हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन तथा विकास के लिये 'भारतीय भाषाओं की राष्ट्रीय अकादमी' की स्थापना करना विशेष उपयोगी होगा ।

20. भारतीय भाषाओं के बीच दूरी कम करने तथा देश के भाषागत सांस्कृतिक ढाँचे में समानता लाने के लिए बहुभाषिकता के सिद्धान्त को प्रोत्साहित किया जाय ओर इस उद्देश्य के लिये शिक्षा पद्धति में व्यवस्था की जाय ; इत्यादि ।

राजभाषा आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि उपरिहार्य कारणों से 26 जनवरी 1965 के उपरान्त भी विशिष्ट कार्यों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना राष्ट्रीय हित में उपयोगी होगा ।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि आयोग संविधान की मर्यादा की दृष्टि में रखते हुए हिन्दी के संवर्धन तथा प्रचार-प्रसार के लिये बहुत उपयोगी सुझाव दिये थे । यद्यपि ऐसे सुझाव देते समय आयोग ने क्षेत्रीय भाषा के महत्व को भी दृष्टि में रखा था, किन्तु राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन प्रसारित करने के पश्चात् देश के एक सीमित भू-भाग में हिन्दी को राजभाषा बनाने का विरोध हुआ, जिससे इस कार्य में थोडी शिथिलता आयी, परन्तु जैसा आगे स्पष्ट किया गया है कि सरकार संविधान की प्राव्यवस्थाओं के अनुसार इस कार्य में आने वाली अड़चनों और समस्याओं का समाधान ढूँठने के लिए व्यावहारिक कदम का निरन्तर प्रयत्न क\ाी रही है ।

22.5. संसदीय राजभाषा समिति

राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने तथा उसकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड़ (4) के अनुसार 'संसदीय राजभाषा समिति' गठित की गई, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्य सभा के 10 सदस्यों को मनोनीत किया गया । तत्कालीन गृह-मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत किये गये । समिति की कुल छब्बीस बैठकें हुई । इन बैठकों में लंबे विचार-विमर्श के पश्चात 8 फरवरी 1959 को अपनी रपट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की । इस समिति ने राष्ट्रपति से आयोग की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार करने का निवेदन किया । संसदीय समिति ने मुख्य रूप से निम्नलिखित सुझाव दिये ।

1. सरकारी पदों ओर नौकरियों के लिये इस समय जो अंग्रजी की शिक्षा का स्तर निर्धारित है, संक्रमण की अवस्थाओं में हिन्दी ज्ञान का स्तर यदि कुछ कम भी हो तो चल सकता है ।

2. निर्धारित समय में कर्मचारियों द्वारा निर्धारित हिन्दी को ज्ञान प्राप्त न करने पर उनको देंडित किया जाना असंगत होगा ।

3. संघ सरकार के प्रशासन में जहाँ भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के विकास की आवश्यकता न हो तथा विदेशों से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए अनिस्चत काल तक अंग्रेजी का प्रयोग होना चाहिए ।

4. 45 वर्ष के ऊपर की आयु वाले सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी के प्रशिक्षण से छूट दी जानी चाहिए ।

5. संघ सरकार द्वारा ऐसी योजना बनाई जाए जिससे हिन्दी का राजभाषा के रूप में अधिकाधिक प्रयोग एवं विकास किया जाय ।

6. सरकार एवं मंत्रालयों के प्रकाशनों में रोमन अंकों के साथ-साथ देवनागरी अंकों को प्रयुक्त करने के बारे में संघ सरकार की मूलभूत समान नीति होनी चाहिए ।

7. संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों में पारित होने वाले विधेयकों की भाषा तथा जब तक अंग्रेजी का स्थान हिन्दी न ले लें तब तक संसद में विधि निर्माण का कार्य अंग्रेजी में होता रहे । कानूनों में हिन्दी में प्राधिकृत अनुवाद दिए जाएँ तथा सम्भव हो तो विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं में भी उनके अनुवाद की व्यवस्था की जाए ।

8. राज्य की विधानसभाएँ अपने राज्यों की राजभाषाओं में विधि-निर्माण कार्य कर सकती है, परन्तु संविधान के 348 अनुच्छेद के अनुसार कानूनों का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में प्रकाशित करना आवश्यक है । यदि कानून का मूल पाठ अन्य भाषा में है तो साथ में हिन्दी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है ।

9. राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालयों में राज्य की राज्यभाषा अथवा हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता हे परन्तु उनके द्वारा किए जाने वाले निर्णयों, अभिलेखों और आदेशों को अंग्रेजी में ही होना चाहिए तथा दूसरी भाषाओं में दिए जाने वाले निर्णयों डिक्रियों एवं आदेशों का अंग्रेजी अनुवाद साथ में रहना चाहिए ।

10. हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान न्यायाधीशों के लिए उपयुक्त हो सकता है, परन्तु उनके लिए भाषा-संबंधी परीक्षाएँ निर्धारित करना उचित नहीं है ।

11. सांविधानिक ग्रंथों के अनुवाद तथा कानूनी पारिभाषिक शब्दावली आदि के निर्माण की उचित योजना बनाने तथा सम्पूर्ण कार्य की व्यवस्था करने के लिए भारत के विभिन्न भाषा-भाषी विधि-विशारदों के स्थायी आयोग या उच्च स्तरीय समिति निर्माण किया जाना चाहिए ।

12. अखिल भारतीय तथा उच्च स्तरीय केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रजी को चलने दिया जाए तथा कुछ समय बाद हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए । तदनंतर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों को वैकल्पिक माध्यम के रूप में चलने दिया जाए । इन परीक्षाओं में दो भाषा प्रश्न पत्र । (एक हिन्दी का और दूसरा हिन्दी के अतिरिक्त अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का परीक्षार्भी की इच्छा पर) अनिवार्य रूप से रहें । इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रशासन की भाषा रहने तक अंग्रेजी का प्रश्नपत्र भी अनिवार्य होना चाहिए । क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम के रूप में स्वीकृत करने के पक्ष में भी विचार किया जाना चाहिए ।

13. सन् 1965 तक भारत सरकार के राजकाज की प्रधान भाषा अंग्रेजी रहे और इस अवधि में हिन्दी गौण राजभाषा रहे । सन् 1965 के बाद हिन्दी प्रधान राजभाषा रहे तथा अंग्रेजी को सह-राजभाषा का स्थान दिया जाए । संसद अपने अधिनियम द्वारा

अंग्रेजी के प्रयोग के लिए जो सीमा एवं क्षेत्र निर्धारित करेगी, तब तक आवश्यकतानुसार उसका प्रयोग जारी रहे ।

संसदीय राजभाषा समिति के उपर्युक्त मुख्य सुझावों से असहमति प्रकट करते हुए राजर्षि पुरूसोत्तमदास टंडन तथा सेठ गोविन्ददास का मत था कि सरकार ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रस्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं । समिति द्वारा अंग्रजी की राजभाषा बनाए रखने का भी दोनों नेताओं ने घोर विरोध किया । इसी प्रकार समिति के एक अन्य सदस्य श्री फ्रैंक ऐन्योनी ने हिन्दी के विरूद्ध अंग्रेजी का प्रबल समर्थन किया था । उन्होंने संविधान की अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को समर्थन को भी सम्मिलित कराने के लिए संसद में एक प्रस्ताव रखने का भी प्रयास किया ।

इस संसदीय समिति ने राजभाषा आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करने की राय राष्ट्रपति को दी । तदनुसार राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल 1960 को संघ राजभाषा के संबंध में एक आदेश जारी किया ।

22.6. संघ राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश 1960

संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड़ (6) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति ने संघ की राजभाषा के संबंध में 27 अप्रैल 1960 को एक आदेश जारी किया, इसमें निम्नलिखित प्रमुख निदेश हैं -

1. निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण एवं समन्वय का प्रयत्न किया जाए तथा इसके लिए शिक्षा मंत्रालय आवश्यक व्यवस्था करते हुए एक आयोग का निर्माण करे ।

2. सभी प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद किया जाए तथा उसमें एकरूपता हो । असंविधिक अनुवाद विधि मंत्रालय करे ।

3. शिक्षा मंत्रालय हिन्दी-प्रचार की व्यवस्था करे और इस कार्य में लगी गैर सरकारी संस्थाओं की भी सहायता करे ।

4. केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने आन्तरिक कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग करें और जनता के व्यवहार में प्रोदशिक भाषा का प्रयोग किया जाए । कर्मचारियों की भरती तथा विकेन्द्रीकरण आदि में इस आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए ।

5. प्रशिक्षण-संस्थाओं में प्रवेश के लिए अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही परीक्षा के माध्यम रहें ।

6. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च्तर केन्द्रीय सेवाओं में भरती के लिए परीक्षा का माध्यम अभी अंग्रेजी बनी रहे और कुछ समय बाद हिन्दी वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना ली जाए । बाद में किसी प्रकार की नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जाए ।

7. अखिल भारतीय सेवाओं ओर उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में भरती के लिए परीक्षा का माध्यम अभी अंग्रेजी बनी रहे और कुछ समय बाद हिन्दी वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना ली जाए । बाद में किसी प्रकार की नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जाए ।

8. संसदीय अधिनियम एवं विधेयक अंग्रेजी में बनते रहें किन्तु उनका प्राधिकृत हिन्दी-अनुवाद उपलब्ध कराया जाए । यह विधि मंत्रालय का उत्तरदायित्व है ।

9. उच्चतम न्यायालय की भाषा अंततः हिन्दी होनी चाहिए । उच्च न्यायालयों के नियमों आज्ञाप्तियों और आदेशों के प्रयोजनों

के लिए हिन्दी और राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग विकल्पतः किया जा सकेगा । इस संबंध में विधि मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए ।

10. एक मानक विधि शब्दकोश बनाने, हिन्दी में कानून बनाने ओर कानूनी शब्दावली के निर्माण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले कानून के विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग स्थापित किया जाए ।

11. तृतीय श्रेणी से नीचे कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थाओं के कर्मचारियों और कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर उन सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का सेवाकाली प्रशिक्षण अनिवार्य बना दिया जाए जिनकी आयु 1-1-61 को 45 वर्ष से कम हो । गृह मंत्रालय टंककों को, आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण तथा आशु-लेखन में प्रशिक्ष्ण देने के लिए भी प्रबन्ध करे ।

22.7. आरम्भिक उपायों के लिए गृह-मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन

राष्ट्रपति के उपर्युक्त आदेश (1960) में यह व्यवस्था दी गई है कि गृह मंत्रालय एक ऐसी योजना तैयार करे, जो संघ के प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग करल बनाने के प्रारम्भिक उपायों से संबंधित हो, अतएव गृहमंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों से विचार विमर्श करने के बाद एक कार्यक्रम तैयार किया । मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात् कार्यक्रम 27 मार्च 1961 को गृहमंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन के रूप में जारी किया । इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण, अहिन्दी-भाषी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण देना, नियमों और मैनुअलों आदि के अनुवाद का काम जिसे संघ के सरकारी काम-काज के लिए हिन्दी लागू करने के लिए पूर्व आवश्यक समझा जा सकता है, संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में सहायता करने के हेतु कुछ प्रारम्भिक उपायों को पूरा करने के लिए अन्तिम तारीखें आदि दी गई हैं । इसके अतिरिक्त सभी मंत्रालयों से निम्नलिखित प्रबंध

करने का अनुरोध किया गया था ।

1. सरकारी संकल्प हिन्दी में भी जारी करना ।
2. हिन्दी के पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना ।
3. फार्मों और रजिस्टरों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का भी प्रयोग करना ।
4. जिन चुने हुए अनुभागों में अधिकतर कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, उनमें फाइलों पर टिप्पणी में हिन्दी के प्रयोग की अनुमति देना, तथा
5. भारत के राजपत्र के कुछ भागों को हिन्दी में भी प्रकाशित करना ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग करने के हेतु प्रशासनिक आदेश जारी किए गए -

1. सरकारी आयोजनों के लिए निमंत्रण पत्र आदि हिन्दी में जारी करना,
2. हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से संबंधित परिपत्र, आदेश आदि और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ पत्र-व्यवहार,
3. भारत सरकार और उन राज्यों के बीच पत्र-व्यवहार के लिए, जिन्होंने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है,
4. लैटर-हैड, लिफाफे, कार्यालय की मुद्राओं आदि के लिए,,
5. हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभियोग-पत्र जारी करना,
6. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों के तार के पत्तों का पंजीयन,
7. नए सरकारी संगठनों के नाम रखना,
8. हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित स्थानीय अथवा शाखा कार्यालयों द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त पत्रों के उत्तर,
9. कर्मचारियों के कल्याण-संबंधी कार्यक्रम के सामान्य आदेश तथा परिपत्र जारी करना ।

10. हिन्दी में प्राप्त पत्रों की डायरी करना,
11. जो परिपत्र स्थायी आदेश के रूप में हो तथा प्रशासनिक अनुदेशों के संबंध में हो अथवा जो कार्यविधि साहित्य के रूप में हो, उनका हिन्दी अनुवाद साथ-साथ जारी करना,
12. स्थानीय कार्यालयों और व्यक्तियों को भेजे जानेवाले लिफाफों पर पत्र लिखना ।

22.8. उपसंहार

प्रस्तुत इकाई में हमने देखा कि हिन्दी के प्रयोग के संबंध में विशेष कार्यवाही करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा दो आदेश क्रमशः 27 मई 1952 तथा 1955 में लागु किये गये । उन आदेशों में हिन्दी के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है । संविधान के लागू होने के पंद्रह वर्ष की अवधि तक अंग्रेज़ी में राजकाज होगा साथ ही हिन्दी भाषा तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग किया जा सकता है । राष्ट्रपति के दूसरे आदेश (1955) में सरकार के सभी कार्यों के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी को भी प्राधिकृत किया गया । फिर सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अन्तर्विभागीय बैठक के बाद एक ज्ञापन (8 दिसंबर 1955) जारी किया गया जिसमें प्रशासनिक काम-काज, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के मध्य पत्र-व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया । परन्तु इस दिशा में वास्तविक कार्य 'राजभाषा आयोग' और 'संसदीय राजभाषा समिति' की स्थापना तथा उनकी सफारिशें मिलने पर 1950 में राष्ट्रपति का आदेश जारी होने के पश्चात् ही शुरू हुआ । राजभाषा आयोग ने संविधान की मर्यादा को दृष्टि में रखते हुए हिन्दी के संवर्धन तथा प्रचार-प्रसार के लिए उपयोगी सुझाव दियें । ऐसे सुझाव देते समय आयोग में क्षेत्रिय भाषा के महत्व को भी दृष्टि में रखा था । किन्तु राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन प्रसारित होने के पश्चात् देश के एक सीमित भू-भाग में हिन्दी का विरोध शुरू हुआ । संसदीय समिति ने जो सुझाव

दिये उसमें हिन्दी को और सक्षम और सशक्त होने के संबंध में निदेश दिया गया और साथ ही अंग्रेजी को प्रधान भाषा कहकर हिन्दी को गौण स्थान दिया गया । जिससे कुछ लोगों ने उसका विरोध किया । कुछ लोगों ने तो संविधान की अष्टम सूची में अंग्रेजी को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया ।

संसदीय समिति के सुझावों को देखने के बाद 1960 में राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी किया जिसमें यह व्यवस्था की गई है फिर गृह मंत्रालय एक ऐसी योजना तैयार करने और उसे कार्यन्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे, जो संघ के प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग सरल बनाने के प्रारम्भिक उपायों से संबंधित हो । अतः 1961 को गह मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया, जिसमें वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण, हिन्दी प्रशिक्षण, मैनुअल आदि का अनुवाद, तथा सरकारी काम-काज में हिन्दी लागू करने के लिए आवश्यक समझा गया ।

इस प्रकार हिन्दी को राजभाषा के सार पर लाने हेतु संविधान के आदेशानुसार विशेष प्रयत्न किये गए ।

22.9. बोध प्रश्न

1. राष्ट्रपति के ओदश कब-कब ज़ारी किये गये ?
   (उत्तर : 27 मई 1952 तथा 1955 में)
2. राष्ट्रपति के आदेश किस विषय के संबंध में थे ?
   (उत्तर : हिन्दी के प्रयोग के विशेष संबंध में विशेष कार्यवाही के लिए)
3. राष्ट्रपति आदेश में कौनसे निदेश दिये गए है
   (उत्तर के लिए देखिए 4.2.1, 4.2.2.)
4. राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे और उसका गठन कब हुआ ?
   (उत्तर 7 जून 1955, अध्यक्ष श्री बाल गंगाधर खेर)

5. राजभाषा आयोग द्वारा दिये गए प्रतिवेदन मे क्या सुझाव दिये गए हैं ?

(उत्तर देखिए 4.4)

6. संसदीय समिति में कितने सदस्य होने है ?

(उत्तर : कुल 30, जिसमें लोक सभा के 20 सदस्य तथा 10 राज्य सभा के सदस्यों को मनोनीत किया गया जाता है ।)

22.10. सहायक पुस्तकें

1.	प्रयोजनमूलक हिन्दी	:	डॉ.विनोद गोदरे
2.	प्रयोज़नपरक हिन्दी	:	डॉ.सूर्यप्रसाद दीक्षित
3.	सरकारी कामकाज में हिन्दी	:	राम विनायक सिंह
4.	राजभाषा सहायिका	:	अवधेश मोहन गुप्त
5.	हिन्दी सदियों से राजकाज में	:	महेश्चन्द्र गुप्त
6.	प्रयोजनमूलक हिन्दीःसिद्धांत और व्यवहार	:	रघुनंदन प्रसाद शर्मा

NOTES

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

NOTES

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕರಾಮುವಿ/ಅಸಾವಿ/4–060/2013–2014 ದಿನಾಂಕ : 24–09–2013
ಒಳಪುಟ : 60 GSM MPM ವೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಹೊರಪುಟ: 170 GSM ಆರ್ಟ್‌ಕಾರ್ಡ್
ಮುದ್ರಕರು : ಅಭಿಮಾನಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು–10 ಪ್ರತಿಗಳು : 1,200

Karnataka State Open University

Manasagangotri Mysore - 570 006

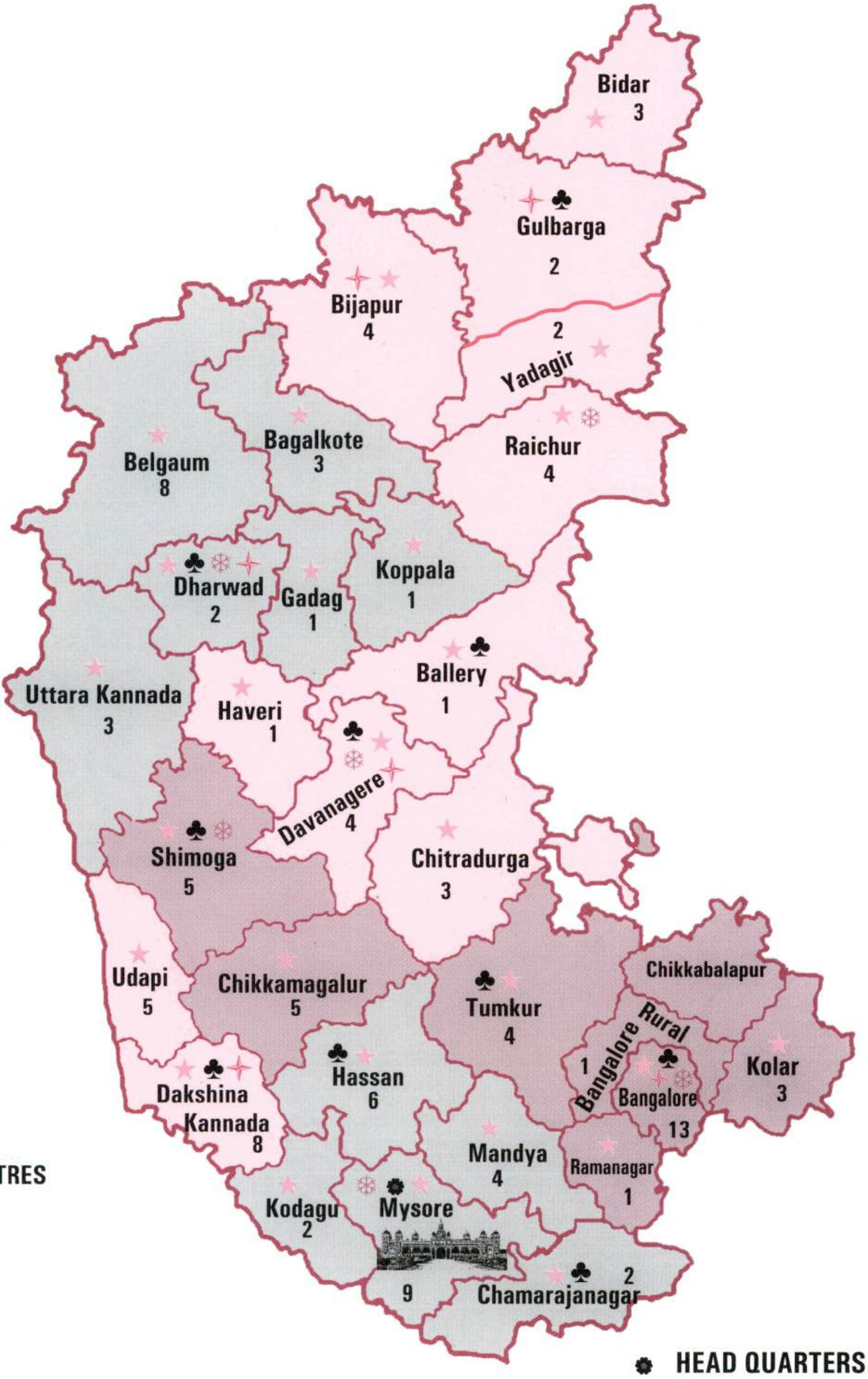

♣ **REGIONAL CENTRES**

Bangalore
Davanagere
Gulbarga
Dharwad
Shimoga
Mangalore
Tumkur
Hassan
Chamarajanagar
Bellary

HEAD QUARTERS

★ Total Study Centres : 111

♣ **Regional Centres : 10**

❄ **B.Ed Study Centres : 10**

✦ **M.Ed Study Centres : 08**

Karnataka State Open University

Manasagangothri, Mysore - 570 006.